डाक-व्यय की अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए
अनुमत. अनुमति-पत्र क्रमांक
भोपाल ५०५ डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
१२२ (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक १५३] भोपाल, सोमवार, दिनांक १२ जून १९७८—ज्येष्ठ २२, शके १९००

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक १२ जून १९७८

क्र.२७६४९-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक २८ मई, १९७८ को राज्यपाल की अनुमति हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. डी. भट्ट, सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १६ सन् १९७८

मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, १९७८

विषय-सूची

पहला अध्याय-प्रारम्भिक

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ
२. परिभाषाएं
३. अनुसूची में परिबद्ध न करने की शक्ति

दूसरा अध्याय-बोर्ड की स्थापना तथा उसका गठन

४. बोर्ड का निगमन
५. बोर्ड का गठन
६. बोर्ड आदि के सदस्यों को भत्ते
७. बोर्ड के प्रबंध संचालक एवं अधिकारी तथा अन्य कर्मचारीवृन्द

८. बोर्ड की समितियों

९. बोर्ड के कृत्य

१०. बोर्ड की साधारण शक्तियां

११. संविदाएं करने की शक्ति

१२. सदस्यों द्वारा त्याग-पत्र दिया जाना तथा उसका प्रतिग्रहण

तीसरा अध्याय-प्रोग्रामों को तैयार किया जाना तथा प्रस्तुत किया जाना

१३. प्रोग्रामों को तैयार किया जाना तथा प्रस्तुत किया जाना

१४. कार्यक्रम की मंजूरी

चौथा अध्याय-वित्त, लेखे, संपरीक्षा तथा ऋण

१५. बोर्ड की निधि का गठन

१६. निधि का उपयोजन

१७. आय तथा व्यय का वार्षिक विवरण तैयार किया जाना

१८. वार्षिक रिपोर्ट

१९. लेखे तथा संपरीक्षा

२०. अन्य विवरण तथा विवरणियां

२१. सम्पत्ति का अन्तरण

पाचवां अध्याय-प्रकीर्ण

२२. बोर्ड की शक्तियों तथा उसके कृत्यों का प्रत्यायोजना

२३. वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति

२४. बकाया की वसूली

२५. यह अधिनियम अनुसूचित उद्योगों पर लागू नहीं होगा

२६. बोर्ड के अधिकारी तथा कर्मचारी लोक सेवक होंगे

२७. इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही के लिये संरक्षण

२८. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति

२९. विनियम बनाने की शक्ति

३०. निरसन तथा व्यावक्ति

अनुसूची

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १६ सन् १९७८.

मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, १९७८

[दिनांक २८ मई १९७८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक १२ जून, १९७८ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश में ग्रामोद्योगों के समुचित संगठन, विकास तथा विनिमन के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधि-नियमित, हो.

पहला अध्याय-प्रारम्भिक

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, १९७८ है, संक्षिप्त नाम. विस्तार तथा प्रारंभ.

(२) इस का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है,

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करें.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ,— परिभाषाएं.

(१) "बोर्ड" से अभिप्रेत है धारा ४ के अधीन स्थापित किया गया मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग बोर्ड.

(२) "आयोग" से अभिप्रेत है खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ (क्रमांक ६१ सन् १९५६) के अधीन स्थापित किया गया खादी और ग्रामोद्योग आयोग,

(३) "खादी" से अभिप्रेत है कोई वस्त्र जो भारत में हाथ से काते गये सूती, रेशमी या ऊनी धागे से या ऐसे समस्त धागों के या ऐसे धागों में से किन्हीं दो धागों के मिश्रण से भारत में हाथ करघे पर बुना गया हो तथा आयोग द्वारा या किसी ऐसे अन्य निकाय द्वारा जो केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा उनके स्थान पर स्थापित या मान्य किया गया हो, उस रूप में प्रमाणित किया गया हो,

(४) "सदस्य" में अध्यक्ष सम्मिलित है,

(५) "विनियमों" से अभिप्रेत है बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियम,

(६) "ग्रामोद्योगों" से अभिप्रेत है अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट किये गये समस्त उद्योग या उनमें से कोई उद्योग.

३. राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या बोर्ड की सिफारिश पर, किसी अन्य उद्योग को, अधिसूचना द्वारा, ऐसे ग्रामोद्योग के रूप में घोषित कर सकेगी जिसको कि वर्द्धन यह अधिनियम लागू होता है और तदुपरि वह उद्योग, जो कि इस प्रकार घोषित किया गया हो, अनुसूची में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट हो जाएगा. अनुसूची में परिवर्द्धन करने की शक्ति.

दूसरा अध्याय-बोर्ड की स्थापना तथा उसका गठन

४. (१) ऐसी तारीख से, जिसे कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस संबंध में नियत करें, मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग बोर्ड के नाम से एक बोर्ड इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये स्थापित किया जायेगा. बोर्ड का निगमन

(२) बोर्ड पूर्वोक्त नाम से एक निमर्ति निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा जिसकी सामान्य मुद्रा होगी और जिसे जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसका व्यय न करने की तथा संविदा करने की शक्ति, इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए होगी, और वह उक्त नाम से वाद चलायेगा, या उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जायगा.

बोर्ड का गठन.

(५) (१) बोर्ड में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया

(ख) दो सदस्य जो क्रमश : :—

(एक) वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मध्यप्रदेश शासन का

(दो) वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन का

प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे

(ग) खादी ग्रामोद्योग आयोग में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला संचालक

(घ) संचालक, हाथकरघा, मध्यप्रदेश

(ङ) दो सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किये जायेंगे, जो कि राज्य में ग्रामोद्योगों से संबंधित सोसाइटियों तथा संस्थाओं के अध्यक्ष हैं.

(च) दो सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किये जायेंगे, जो कि राज्य सरकार की राय में ग्रामोद्योगों के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं.

(२) प्रबंध संचालक बोर्ड का पदेन सदस्य होगा.

(३) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये सदस्यों की पदावधि एवं रिक्तियों की पूर्ति करने की रीति तथा सदस्यों द्वारा अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाय.

(४) बोर्ड का या बोर्ड के द्वारा धारा ८ के अधीन नियुक्त की गई किसी भी समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि :—

(क) बोर्ड या ऐसी समिति में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है, या

(ख) बोर्ड या ऐसी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है, या

(ग) बोर्ड या ऐसी समिति की प्रक्रिया में कोई, ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है.

बोर्ड आदि के सदस्यों को भत्ते.

६. बोर्ड और समिति के सदस्यों को यथास्थिति बोर्ड तथा समिति का कार्य करने हेतु ऐसे भत्तों का भुगतान किया जा सकेगा जिनका कि विनियमों द्वारा उपबन्ध किया जाय.

बोर्ड के प्रबंध संचालक एवं अधिकारी तथा अन्य कर्मचारीवृन्द.

७. (१) राज्य सरकार एक प्रबंध संचालक नियुक्त करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि विहित किये जायें या उसे बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित किये जाय/की जायें.

(२) प्रबन्ध संचालक ऐसे वेतन तथा भत्तों का और छुट्टी, पेंशन, भविष्यनिधि तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में ऐसी सेवा-शर्तों का हकदार होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किया जाय.

(३) ऐसे नियंत्रण, निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसा कि विहित किया जाय बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा, जो कि उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक हो.

(७) बोर्ड का प्रबंध संचालक तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी कोई ऐसा कार्य, जो इस अधिनियम के अधीन उनके कर्तव्यों से असम्बद्ध हो, राज्य सरकार की अनुज्ञा से ही हाथ में लेंगे अन्यथा नहीं.

(८) बोर्ड ऐसी समितियां नियुक्त कर सकेगा जिनमें उतने सदस्य होंगे जितने कि वह इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन तथा इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए उचित समझे. बोर्ड की समितियां

(९) (१) बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह ग्रामोद्योगों का संगठन, विकास तथा विनियमन करें.

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड विशिष्टतया निम्नलिखित समस्त कर्तव्यों तथा कृत्यों का या उनमें से किसी भी कर्तव्य एवं कृत्य का निर्वहन तथा पालन भी करेगा, अर्थात् :— बोर्ड के कृत्य.

(क) ग्रामोद्योगों को प्रारम्भ करना, उन्हें प्रोत्साहन देना, उनकी सहायता करना तथा उन्हें चलाना और ऐसे उद्योगों से सम्बन्धित व्यापार या कारबार करना तथा ऐसे व्यापार या कारबार से आनुषंगिक पदार्थों का व्यापार या कारबार करना,

(ख) ग्रामोद्योगों के लिए सहकारी सोसाइटियों की स्थापना को प्रोत्साहन देना,

(ग) ग्रामोद्योगों को प्रारम्भ करने या चलाने के लिए लोगों को आवश्यक जानकारी जुटाने की दृष्टि से प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना और उनमें लोगों को प्रशिक्षित करना या मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या बाहर की किसी अन्य संस्था में ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था करना.

(घ) (एक) ग्रामोद्योगों को चलाने के लिए अपेक्षित औजारों तथा उपकरणों का विनिर्माण करना तथा ऐसे उद्योगों के उत्पादों का निर्माण करना, और

(दो) उक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित कच्चे माल तथा औजारों एवं उपस्करों के लिए व्यवस्था करना, और

(तीन) उक्त उद्योगों के उत्पादों का विक्रय करना तथा उनके विक्रय के लिए व्यवस्था करना.

(ङ) भंडार, दुकानें, विक्रयालय (एम्पोरियम) खोलकर या प्रदर्शनियां लगाकर ग्रामोद्योगों के तैयार उत्पादों का प्रचार करने तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए व्यवस्था करना तथा इस प्रयोजन के लिए यथोचित उपाय करना,

(च) ऐसे उद्योगों के पक्ष लोकमत बनाने के लिए तथा ऐसे उद्योगों के उत्पादों को संरक्षण देने के फायदे जनता के मस्तिष्क में बैठने के लिए प्रयास करना,

(छ) ग्रामोद्योगों के विशेषज्ञों की सलाह तथा मार्गदर्शन चाहना तथा अभिप्राप्त करना,

(ज) ग्रामोद्योगों की समुचित योजना से आनुषंगिक सर्वेक्षण करना, सांख्यिकी संग्रहित करना तथा उस योजना से आनुषंगिक समस्त कार्य हाथ में लेना,

(झ) ग्रामोद्योगों के क्षेत्रीय तथा अखिल भारतीय सम्मिलनों, सम्मेलनों या प्रदर्शनियों में भाग लेना और राज्य में ऐसे सम्मिलनों, सम्मेलनों या प्रदर्शनियों का आयोजन करना,

(ञ) ऐसे अन्य क्रियाकलाप करना जो इस अधिनियम के उद्देश्यों से आनुषंगिक हों, तथा उनके लिए प्रेरक हो, और

(ट) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जैसे कि विहित किये जायें या जैसे कि राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों से निर्दिष्ट करें.

बोर्ड की साधारण शक्तियां

१०. बोर्ड को, ऐसे कर्तव्यों के निर्वहन तथा ऐसे कृत्यों के पालन के प्रयोजन के लिए जो कि इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उस पर अधिरोपित किये गये हों, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(एक) ऐसी जंगम तथा स्थावर सम्पत्ति अर्जित करना तथा धारण करना जैसी कि वह आवश्यक समझें तथा किसी ऐसी सम्पत्ति को पट्टे पर देना, उसका विक्रय करना, या उसे अन्यथा अन्तरित करना,

परन्तु किसी ऐसी स्थावर संपत्ति की दशा में, जिसका कि मूल्य पचास हजार रुपये से अधिक हो, पूर्वोक्त शक्ति का प्रयोग, दान या अनुदान द्वारा अर्जन किये जाने की दशा में के सिवाय, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही किया जायगा.

(दो) इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी स्कीमों को, जिन्हें कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे या जो कि उसे राज्य सरकार द्वारा सौंपी जायें, विरचित करने तथा निष्पादित करने के लिए व्यय उपगत करना तथा राज्य में के किसी भी क्षेत्र में प्रोग्रामों का, जिनके अन्तर्गत संकर्म भी आते हैं, हाथ में लेना.

संविदायें करने की शक्ति.

११. (१) बोर्ड, समस्त ऐसी संविदाएं कर सकेगा तथा उनका पालन कर सकेगा जिन्हें कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझें.

(२) बोर्ड की ओर से प्रत्येक संविदा धारा ७ के अधीन नियुक्त किये गये प्रबंध संचालक द्वारा की जायगी.

(३) बोर्ड की ओर से की गई प्रत्येक संविदा, इस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी रीति में तथा ऐसे प्रारूप में, जिसे कि विहित किया जाय की जायगी.

(४) कोई ऐसी संविदा, जो कि इस धारा के तथा उसके अधीन इस संबंध में बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार निष्पादित न की गई हो, बोर्ड पर आबद्ध कर नहीं होगी.

सदस्यों द्वारा त्यागपत्र दिया जाना तथा उसका प्रतिग्रहण.

१२. (१) धारा ५ की उपधारा (१) के खण्ड (ङ) या खण्ड (च) के अधीन नियुक्त किया गया कोई भी सदस्य अपना त्यागपत्र, जिस पर हस्ताक्षर किये गये हो तथा जो बोर्ड के अध्यक्ष को सम्बोधित किया गया हो, भेजकर किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन भेजा गया कोई भी त्याग पत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह अध्यक्ष द्वारा प्रतिग्रहित न कर लिया जाय.

तीसरा अध्याय—प्रोग्रामों को तैयार किया जाना तथा प्रस्तुत किया जाना

प्रोग्रामों को तैयार किया जाना तथा प्रस्तुत किया जाना.

१३. (१) प्रतिवर्ष ऐसी तारीख तक जो कि राज्य सरकार द्वारा नियत की जाय, बोर्ड आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कार्य का प्रोग्राम तैयार करेगा तथा उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा जिसमें स्कीम की विशेषताओं का तथा उन रकमों का पृथक्-पृथक् वर्णन कियां जायगा. जो कि नेमी प्रशासन के संबंध में, तथा उन प्रोग्रामों के संबंध में, जो कि राज्य सरकार तथा आयोग से प्राप्त होने वाले धन की सहायता से बैंक की मार्फत निष्पादित किये जाने के लिए प्रस्तावित किये गये हैं, अन्तर्वलित हो.

(२) प्रोग्राम में अन्तर्विष्ट होगी —

(क) उस स्कीम की, जिसे कि बोर्ड आगामी वर्ष के दौरान अंशतः या पूर्णतः निष्पादित करना प्रस्तावित करता है, विशिष्टियां,

(ख) किसी कार्य या उपक्रम की, जिसे कि बोर्ड इस अधिनियम के अधीन के अपने कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए आगामी वर्ष के दौरान संगठित करना प्रस्तावित करता है, विशिष्टियां, और

(ग) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो कि विहित की जाय.

कार्यक्रम की मंजूरी.

१४. राज्य सरकार बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यक्रम का अनुमोदन, ऐसे उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए जैसे कि आवश्यक समझे जाय कर सकेगी.

चौथा अध्याय—वित्त, लेखे, संपरीक्षा तथा ऋण

बोर्ड की निधि का गठन

१५. (१) बोर्ड की अपनी स्वयं की निधि होगी और वह उसे बनाये रखेगा तथा बोर्ड की समस्त प्राप्तियां उसमें जमा की जायेगी तथा बोर्ड द्वारा किये जाने वाले समस्त सदाय उसमें किये जायेंगे.

(२) बोर्ड, इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों या उनमें से किसी भी प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी व्यक्ति से या किसी निकाय से, चाहे वह निगमित न हो या हो, अर्थसाहाय्य, संदान तथा दान प्रतिग्रहित कर सकेगा.

(३) बोर्ड की निधि बोर्ड की समस्त प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति करने के लिए तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उसके द्वारा उपयोजित की जायगी.

(४) वे समस्त धन, जो बोर्ड की निधि के भागरूप हो, ऐसी रीति में निक्षिप्त किये जायेंगे जैसी कि राज्य सरकार विशेष या साधारण आदेश द्वारा निदेशित करें.

(५) लेखा ऐसे अधिकारी द्वारा, जोकि बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाय, संयुक्ततः या व्यष्टितः चलाया जायेगा.

निधि का उपयोजन.

१६. बोर्ड की निधि तथा अन्य अस्तियां बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए धारण तथा उपयोजित की जायेगी.

आय तथा व्यय का वार्षिक विवरण तैयार किया जाना.

१७. (१) बोर्ड प्रतिवर्ष ऐसी तारीख तक, जो कि राज्य सरकार द्वारा नियत की जाय, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलित प्राप्तियां तथा व्यय दर्शाते हुए तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा.

(२) राज्य सरकार, उसे प्रस्तुत किये गये बजट को उपान्तरणों के साथ या उपान्तरणों के बिना जैसा कि वह उचित समझे मंजूर कर सकेगी.

(३) बोर्ड राज्य सरकार या वित्त दायी बैंकों या आयोग से परामर्श करने के ऐसी रकमों का, जो कि आवश्यक हो, एक स्कीम से दूसरी स्कीम में तथा उपशीर्षों या गौण शीर्षों के अन्तर्गत पुनर्विनियोग इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कर सकेगा कि किसी स्कीम की लागत में, जैसी कि वह मूलतः मंजूर की गई हो, 33 $^{1}/_{3}$ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं होगी.

(४) बोर्ड, एक अनुपूरक बजट राज्य सरकार की मंजूरी के लिए प्रारूप में तथा ऐसी तारीख तक, जैसा कि विहित की जाय, प्रस्तुत कर सकेगा.

वार्षिक रिपोर्ट

१८. (१) बोर्ड पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान उसके द्वारा किये गये क्रिया-कलापों का पूर्ण वृत्तान्त देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन मास के भीतर ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाय, तैयार करेगा तथा राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा.

(२) राज्य सरकार को उपधारा (१) के अधीन प्राप्त हुई रिपोर्ट, राज्य सरकार को उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र मध्यप्रदेश विधान सभा के पटल पर रखी जायेगी.

लेखे तथा संपरीक्षा

१९. (१) बोर्ड समुचित लेखा-पुस्तकें तथा ऐसी अन्य पुस्तकें, जो कि नियमों द्वारा अपेक्षित हो, बनाये रखवायेगा तथा लेखे का वार्षिक विवरण नियमों के अनुसार तैयार करेगा.

(२) बोर्ड प्रतिवर्ष अपने लेखाओं की संपरीक्षा ऐसे व्यक्ति द्वारा करवायेगा जिसके कि संबंध में राज्य सरकार निर्देश दें.

(३) जैसे ही बोर्ड के लेखाओं की संपरीक्षा कर ली जाय, बोर्ड उनकी एक प्रतिलिपि संपरीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि के साथ तथा उस पर की गई अपनी टिप्पणियों के साथ राज्य सरकार को भेजेगा.

(४) बोर्ड ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जैसे कि राज्य सरकार संपरिक्षक रिपोर्ट तथा उस पर की गई बोर्ड की टिप्पणियों का परिशीलन करने के पश्चात् जारी करना ठीक समझें.

अन्य विवरण तथा विवरणियां.

२०. बोर्ड राज्य सरकार को ऐसी सांख्यिकी, विवरणियां विशिष्टियां या विवरण ऐसे समय पर तथा ऐसे प्रारूप में एवं ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाय, या जैसा कि राज्य सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें, प्रस्तुत करेगा.

संपत्ति का अन्तरण.

राज्य सरकार बोर्ड को भवन, भूमियां या कोई अन्य संपत्ति, चाहे वह जगम हो या स्थावर, बोर्ड द्वारा उसका उपयोग तथा प्रबन्ध किया जाने हेतु ऐसी शर्तों पर तथा ऐसे निर्बन्धनों के साथ अन्तरित कर सकेगी जिन्हें कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उचित समझे.

पांचवां अध्याय—प्रकीर्ण

बोर्ड की शक्तियों तथा उसके कृत्यों का प्रत्यायोजना.

ऐसे निर्बन्धनों यथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें कि विहित किया जाये बोर्ड लिखित आदेश द्वारा अपनी शक्तियों में से कोई शक्ति तथा अपने कृत्यों में से कोई भी कृत्य धारा २९ के अधीन की अपनी शक्ति तथा कृत्य को छोड़कर, बोर्ड के अध्यक्ष, प्रबन्ध संचालक या अन्य अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा :—

वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति.

२३. (१) राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति को, जो कि बोर्ड का सदस्य न हो, वित्तीय सलाहकार नियुक्त करेगी.

(२) वित्तीय सलाहकार की सेवा के निबन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि विहित की जाय.

बकाया की वसूली

२४. बोर्ड को इस अधिनियम के अधीन शोध्य कोई ऐसी राशि जो कि उसके शोध्य हो जाने पर चुकाई नहीं गई हो, बोर्ड द्वारा कलेक्टर को इस सम्बन्ध में विहित किये गये प्रारूप पर आवेदन किया जाने पर, कलेक्टर द्वारा उस विधि के अनुसार तथा उन नियमों के अधीन, जो कि भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिए तत्समय प्रवृत्त हो, वसूली की जाएगी.

यह अधिनियम अनुसूचित उद्योगों पर लागू नहीं होगा.

२५. इस अधिनियम में को कोई भी बात किसी ऐसे उद्योग को, जो कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, (१९५१ क्रमांक ६५ सन् १९५१) के अधीन कोई अनुसूचित उद्योग होना घोषित किया गया हो, लागू नहीं होगा या उक्त अधिनियम के उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध पर प्रभाव नहीं डालेगी.

बोर्ड के अधिकारी तथा कर्मचारी लोक सेवक होंगे.

२६. बोर्ड का प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी, जबकि वह इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के उपबन्धों के अनुसरण में कार्य कर रहा हो या जबकि उसका उस तरह कार्य करना तात्पर्यित हो, भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (क्रमांक ४५ सन् १८६०) की धारा २१ के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायगा.

इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण.

२७. बोर्ड के विरुद्ध या बोर्ड के किसी भी सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध या समिति के विरुद्ध, किसी भी ऐसी बात के सम्बन्ध में, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई हो या जिसका उस तरह सद्भावनापूर्वक किया जाना आशयित रहा हो, कोई भी वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

२८. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति.

(२) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों के लिए या उनमें से किसी भी विषय के लिए उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात् :—

(क) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये सदस्यों की पदावधि, रिक्तियों की पूर्ति करने की रीति तथा सदस्यों द्वारा कृत्यों का निर्वहन किया जाने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया.

(ख) वे शक्तियां जिनका कि संचालक द्वारा प्रयोग किया जा सकेगा तथा वे कृत्य जिनका कि उसके द्वारा पालन किया जायगा.

(ग) वे कर्तव्य जिनका कि बोर्ड द्वारा निर्वहन किया जा सकेगा तथा वे कृत्य जिनका बोर्ड द्वारा पालन किया जायगा.

(घ) वे परिस्थितियां जिनमें तथा वह प्राधिकारी जिसके द्वारा किसी सदस्य को हटाया जा सकेगा.

(ङ) प्रतिवर्ष एक निश्चित न्यूनतम संख्या में बोर्ड के सम्मेलनों का किया जाना.

(च) वह प्रक्रिया जिसका बोर्ड के सम्मेलनों में कामकाज के संचालन के लिए अनुसरण किया जायगा तथा सदस्यों की वह संख्या जिससे किसी सम्मेलन में गणपूर्ति होगी.

(छ) बोर्ड द्वारा किये गये कामकाज के अभिलेखों का बोर्ड द्वारा रखा जाना तथा उनकी प्रतिलिपियों का राज्य को प्रस्तुत किया जाना.

(ज) व्यय उपगत करने के सम्बन्ध में बोर्ड, उसके अध्यक्ष तथा बोर्ड की समितियों की शक्तियां.

(झ) वह रीति तथा प्रारूप जिसमें संविदा की जाये.

(ञ) वे विशिष्टियां जो कार्य के प्रोग्राम में अन्तर्विष्ट होगी.

(ट) वह प्रारूप जिनमें तथा वह तारीख जिस तक बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जायगा.

(ठ) यह रीति जिसमें वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायगी तथा राज्य सरकार को अग्रेषित की जायगी.

(ड) वे लेखा-पुस्तकें जो कि बोर्ड द्वारा बनाये रखी जायेंगी.

(ढ) वह रीति जिसमें लेखे का वार्षिक विवरण तैयार किया जायगा.

(ण) वह प्रारूप तथा रीति जिसमें तथा वह समय जिस तक सांख्यिकी, विवरणियां, विशिष्टियां या विवरण प्रस्तुत किये जायेंगे.

(त) वे निर्बन्धन तथा शर्त, जिनके कि अध्यधीन रहते हुए बोर्ड अपनी शक्तियां तथा कृत्य बोर्ड के अध्यक्ष, प्रबंध संचालक या अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा.

(थ) वित्तीय सलाहकार की सेवा के निबंधन तथा शर्तें.

(द) वह प्रारूप जिसमें कलेक्टर को बकाया की वसूली के लिए आवेदन किया जायेगा,

(ध) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन के नियमों द्वारा विहित किया जाना हो या विहित किया जाय, या उपबंधित किया जाना हो या उपबंधित किया जाये,

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

विनियम बनाने की शक्ति.

२९. (१) बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने हेतु स्वयं को समर्थ बनाने के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम तथा उससे अधीन बनाये गये नियमों असंगत न हों.

(२) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों निम्नलिखित समस्त विषयों के लिए या उनमें से किसी भी विषय के लिए उपलब्ध हो सकेंगे, अर्थात् :—

(क) बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई समितियों के सम्मिलनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा सदस्यों की वह संख्या जिसमें किसी सम्मिलन में गणपूर्ति होगी,

(ख) वे भत्ते जो बोर्ड तथा समिति के सदस्यों को बोर्ड या समिति का कार्य करने हेतु दिये जायेंगे,

(ग) बोर्ड के अधिकारियों (जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अधिकारियों से भिन्न हों) तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते और छुट्टी एवं अन्य सेवा शर्ते,

(घ) बोर्ड के लेखाओं को बनाये रखना,

(ङ) बोर्ड तथा उसकी विभिन्न समितियों के रजिस्टरों तथा अन्य अभिलेखों को बनाये रखना,

(च) वे व्यक्ति जिनके द्वारा तथा वह रीति जिसमें बोर्ड की ओर से सदस्य निक्षेप तथा विनिधान किये जा सकेंगे.

(३) बोर्ड द्वारा बनाया गया कोई भी विनियम तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि वह राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो तथा राजपत्र में प्रकाशित न कर दिया गया हो, और राज्य सरकार किसी विनियम को अनुमोदित करते समय उसमें कोई ऐसी तब्दीली, जो कि राज्य सरकार किसी विनियम को अनुमोदित करते समय कोई ऐसी तब्दीली, जो कि राज्य सरकार को आवश्यक प्रतीत हो, कर सकेगी.

(४) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी विनियम को, जिसे उसने अनुमोदित किया हो, रद्द कर सकेगी और तदुपरि वह विनियम प्रभावहीन हो जायगा.

निरसन तथा व्यावृत्ति

३०. धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन नियत की गई तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :—

(क) मध्यप्रदेश खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्रीज एक्ट, १९५९ (क्रमांक 2 सन् १९६०) निरस्त हो जायगा.

(ख) निरस्त अधिनियम के अधीन गठित किया गया मध्यप्रदेश खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्रीज बोर्ड विघटित हो जायगा.

(ग) खण्ड (क) में निर्दिष्ट किये गये बोर्ड की समस्त आस्तियां तथा दायित्व धारा ४ के अधीन गठित किये गये बोर्ड की आस्तियां तथा दायित्व होंगे तथा समझे जायेंगे.

(घ) खण्ड (क) में निर्दिष्ट किये गये बोर्ड के तथा उसके नियंत्रणाधीन समस्त कर्मचारी धारा ४ के अधीन गठित किये गये बोर्ड के कर्मचारी समझे जायेंगे.

(ङ) खण्ड (क) में निर्दिष्ट किये गये बोर्ड के समस्त अभिलेख तथा कागज पत्र धारा ४ के अधीन स्थापित किये गये बोर्ड में निहित हो जायेंगे तथा उसको अन्तरित कर दिये जायेंगे.

(च) मध्यप्रदेश जनरल क्लाजेज एक्ट, १९५७ (क्रमांक ३ सन् १९५८) की धारा १० तथा २५ के उपबन्ध (खण्ड) (क) के अधीन के निरसन को, उन विषयों की बाबत् जो कि इसमें उपबंधित नहीं हैं, लागू होंगे.

अनुसूची

[धारा २ (६) देखिये]

१ खादी (सूती, ऊनी तथा रेशमी)

२ धान, दालें तथा प्रसंस्करण इकाइयां

३ ग्रामीण तेल उद्योग

४ चर्म उद्योग

५ हाथ की बनी दियासलाई

६ गुड खांडसारी

७ ताड़ गुड तथा ताड़ से निर्मित पेय

८ अखाद्य तेल तथा साबुन उद्योग

९ हाथ से बना कागज

१० कुम्हारी (पाटरी) उद्योग

११ रेशा उद्योग

१२ लोहारगिरी तथा बढ़ईगिरी

१३ शहद तथा मधुमक्खी पालन

१४ चूना

१५ गोबर गैस

१६ फल परिरक्षण तथा डिब्बाबन्दी

१७ बांस तथा बेंत

१८ एल्युमिनियम के घरेलू बर्तन

१९ एकीकृत विकास कार्यक्रम

२० लाख उद्योग

२१ कत्था उद्योग

२२ जडी-बूटियों का संग्रहण तथा वन उपज

डाक-व्यय की अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्रमांक भोपाल ५०५ डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन १२२ (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक २५७] भोपाल, सोमवार, दिनांक २२ जून १९७९—आषाढ़ २२, शके १९०१

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक २० जून १९७९

क्र.१६११०-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक ७ जुन, १९७९ को राज्यपाल की अनुमति हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. डी. भट्ट, सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २५ सन् १९७८

मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग (संशोधन) अधिनियम, १९७८

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम.
२. नाम (साइटेशन) का संशोधन.
३. लम्बे नाम का संशोधन.
४. धारा १ का संशोधन.
५. धारा २ का संशोधन.
६. धारा ४ का संशोधन.
७. नवीन धारा १२-क का अन्त:स्थापन.
८. धारा २२ का संशोधन.
९. धारा २८ का संशोधन.
१०. नवीन धारा २९-क का अंन्त:स्थापन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २५ सन् १९७९.

मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग (संशोधन) अधिनियम, १९७९

[दिनांक ७ जून १९७९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक २२ जून, १९७९ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

(मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, १९७९ को संशोधित करने हेतु अधिनियम)

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित, हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम म.प्र. ग्रामोद्योग (संशोधन) अधिनियम, १९७९ है.

नाम(साइटेशन)का संशोधन. २. मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, १९७८ (क्रमांक १६ सन् १९७८) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के नाम (साइटेशन) में, शब्द 'ग्रामोद्योगों' के स्थान पर शब्द 'खादी तथा ग्रामोद्योग' स्थापित किये जायें.

लम्बे समय का संशोधन. ३. मूल अधिनियम के लम्बे नाम में, शब्द 'ग्रामोद्योग' के स्थान पर शब्द "खादी तथा ग्रामोद्योग" स्थापित किये जायें.

धारा १ का संशोधन ४. मूल अधिनियम की धारा १ के खण्ड (१) में, शब्द "ग्रामोद्योग बोर्ड" के स्थान पर शब्द "खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड" स्थापित किये जायें.

धारा २ का संशोधन. ५. मूल अधिनियम की धारा २ के खण्ड (१) में , शब्द "ग्रामोद्योग बोर्ड" के स्थान पर शब्द "खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड" स्थापित किये जायें.

धारा ४ का संशोधन. ६. मूल अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) में, शब्द "ग्रामोद्योग बोर्ड" के स्थान पर शब्द "खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड" स्थापित किये जायें.

नवीन धारा १२-का अन्त: स्थापन ७. मूल अधिनियम की धारा १२ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त: स्थापित की जाय, अर्थात् :—

जिला समितियां. "१२-क (१) प्रत्येक जिले में एक जिला समिति गठित की जायगी जिसमें उतनी संख्या में व्यक्ति होंगे जो कि विहित की जाये.

(२) प्रत्येक जिला समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जैसी कि बोर्ड द्वारा उसे सौंपी जाय तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगी जैसे कि बोर्ड द्वारा उसे सौंपे जायें.

(३) प्रत्येक जिला समिति ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जैसे कि बोर्ड, विनियमों द्वारा उपबंधित करें.

धारा २२ का संशोधन ८. मूल अधिनियम की धारा २२ में, शब्द "बोर्ड के अध्यक्ष, प्रबन्ध संचालक या अन्य अधिकारियों" के स्थान पर शब्द, अंक तथा अक्षर "बोर्ड के अध्यक्ष, प्रबन्ध संचालक, अन्य अधिकारियों या धारा १२-क के अधीन गठित की गई जिला समितियों" अंत: स्थापित किये जायें.

धारा २८ का संशोधन ९. मूल अधिनियम की धारा २८ की उपधारा (२) में, खण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाये, अर्थात्—

"(झ-झ) जिला समिति के सदस्यों की संख्या."

नवीन धारा २९ क अन्त:स्थापन. १०. मूल अधिनियम की धारा २९ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त: स्थापित की जाय, अर्थात् :—

बोर्ड का विघटन "२९-क (क) राज्य सरकार, यदि वह लोकहित में ऐसा करना समीचीन या आवश्यक समझे, अधिसूचना द्वारा

यह निर्देश दे सकेगी कि बोर्ड ऐसी तारीख से, जैसी कि ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, विघटित कर दिया जायेगा और तदुपरि बोर्ड तद्नुसार विघटित हुआ समझा जायगा.

(२) उक्त तारीख को तथा से—

(क) ये समस्त संपत्तियां, निधियां तथा शोध्य रकमें, जो कि बोर्ड में निहित हो या बोर्ड द्वारा उगाहने योग्य हो, राज्य सरकार में निहित हो जायेगी, तथा राज्य सरकार द्वारा उगाही जायेंगी.

(ख) बोर्ड में समस्त अधिकार, बाध्यताएं तथा दायित्व (जिनके अन्तर्गत किसी संविदा के अधीन के कोई दायित्व भी आते हैं) राज्य सरकार के अधिकार, उसकी बाध्यतायें तथा उसके दायित्व हो जायेंगे,

(ग) समस्त सदस्य के रूप में अपने-अपने पदों को रिक्त कर देंगे.

भाग 4 ग

अन्तिम नियम

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

भोपाल, दिनांक १३ मई १९८०

क्र. १ (ए)-१-८०-अ-ग्यारह.—मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम, १९७८ (क्रमांक १६ सन् १९७८) की धारा २८ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

१. ये नियम मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग नियम, १९८० कहलायेंगे.

२. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम, १९७८ (क्रमांक १६, सन् १९७८).

(ख) "वित्तीय सलाहकार" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा २३ की उपधारा (१) के अधीन नियुक्त किया गया वित्तीय सलाहकार,

(ग) "प्रारूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न कोई प्रारूप,

(घ) "प्रबंध संचालक" से अभिप्रेत है, अधिनियम धारा ७ की उपधारा (१) के अधीन नियुक्त किया गया प्रबंध संचालक.

(ङ) "सदस्य" से अभिप्रेत है बोर्ड का कोई सदस्य जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो,

३ (१) सदस्यों की पदावधि उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की होगी.

(२) उपनियम (१) में विनिर्दिष्ट की गई अवधि का अवसान हो जाने पर भी, बहिर्गामी सदस्य पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति न कर दी जाय.

(३) उस दशा में जब तक कि मृत्यु या पद त्याग के कारण या किसी अन्य कारण चाहे वह कोई भी हो, से किसी सदस्य का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए, तो ऐसी रिक्त यथाशक्य उसके पूर्ववर्ती की अनवसि अवधि के लिये भरी जाएगी.

४. बोर्ड का संकल्प प्राप्त होने पर, राज्य सरकार, ऐसे किसी भी सदस्य को पद से हटा सकेगी :

(क) जो कि उसकी राय में इस अधिनियम के अधीन सदस्य के कृत्यों का पालन करने में असमर्थ है या उनका पालन करने से इन्कार करता है, या

(ख) जो कि उसकी राय में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है, या

(ग) जिसने कि उसकी राय में सदस्य की हैसियत से अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया है कि सदस्य के रूप में उसका बना रहना बोर्ड के लिए अपायकर हो जाता है, या

(घ) जो कि उसकी राय में अध्यक्ष को सूचना दिए बिना बोर्ड के तीन क्रमवर्ती सम्मिलनों में अनुपस्थित रहता है;

(ङ) जो कि उसकी राय में मध्यप्रदेश में निवास करना छोड़ देता है, या

(च) जिसने कि उसकी राय में मध्यप्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास के हितों के प्रतिकूल कार्य किया है, या

(छ) जो कि उसकी राय में अपने द्वारा किए गए कार्यों से बोर्ड को वित्तीय हानिकारित कर रहा है.

५. सदस्य बोर्ड के तथा ऐसी समितियों के, जो कि धारा ८ के अधीन नियुक्त की गई हो, जिनका कि वह सदस्य है, सम्मिलन में भाग लेगा.

६. (१) बोर्ड का सम्मिलन कम से कम तीन माह में एक बार होगा, सम्मिलन का स्थान, तारीख तथा समय अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाएगा, यदि अध्यक्ष उपलब्ध न हो और गत सम्मिलन की तारीख से तीन माह बीत गए हों तो सम्मिलन प्रबन्ध संचालक द्वारा बुलाया जाएगा अध्यक्ष यदि वह ऐसा करना चाहे तो या बोर्ड के कम से कम चार सदस्यों द्वारा निवेदन किए जाने पर विशेष सम्मिलन भी बुला सकेगा.

(२) सम्मिलन के लिए कार्य सूची को अन्तिम रूप अध्यक्ष के अनुमोदन से प्रबंध संचालक द्वारा दिया जाएगा सदस्यों को सम्मिलन की सूचना पूरे सात दिन पूर्व दी जाएगी, उस दशा में जबकि कोई सदस्य कार्यसूची में किसी मद को सम्मिलित करना चाहता हो तो वह सम्मिलिन की तारीख से एक दिन पूर्व उस आशय की लिखित सूचना प्रबंध संचालक को देगा और वह विषय (मद) उस सम्मिलन की कार्यसूची में सम्मिलन कर दिया जाएगा,

(३) (क) अध्यक्ष सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा, उसकी अनुपस्थिति में सदस्य अपने में से एक को सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिए चुनेंगे.

(ख) सम्मिलन में तब तक कार्य नहीं होगा जब तक कि सम्मिलन के पूरे समय में चार सदस्यों की गणपूर्ति उपस्थित नहीं होगी, यदि किसी सम्मिलन में किसी समय गणपूर्ति उपस्थित न हो तो अध्यक्षता करने वाला प्राधिकारी कम से कम पन्द्रह मिनिट तथा अधिक से अधिक तीस मिनिट तक ठहरने के पश्चात् उस सम्मिलन को अगले दिन के उस समय तक के लिए स्थगित करेगा जैसा कि वह युक्तियुक्त रूप से नियत करे.

(ग) खंड (ख) के अधीन स्थगन के पश्चात् किए गए सम्मिलन के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी तथा ऐसे सम्मिलन में केवल उसी कार्य पर विचार होगा जो उस सम्मिलन के लिए नियत किया गया है.

(४) बोर्ड का विनिश्चय बहुमत से होगा, मतों की संख्या बराबर-बराबर रहने की दशा में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा.

(५) बोर्ड का विनिश्चय प्रबंध संचालक द्वारा कार्यवाही के रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा तथा उसे अध्यक्ष द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा कार्यवाही को अनुसमर्थन हेतु बोर्ड के समक्ष उसके अगले सम्मिलन में रखा जाएगा.

(६) उस दशा में जबकि किसी मामले में अविलम्ब विनिश्चय करना बोर्ड के हित हो और विनिश्चय करने की शक्ति बोर्ड को हो तथा समय पर सम्मिलन होने के लिए बोर्ड शोध्य न हो तो, अध्यक्ष उस मामले को विनिश्चत कर सकेगा और उसे अनुसमर्थन हेतु बोर्ड के अगले सम्मिलन के समक्ष रखेगा.

(७) जिला समिति में निम्नलिखित होंगे :—

(क)	संबंधित जिले का कलेक्टर	अध्यक्ष
(ख)	जिला उद्योग केन्द्र का प्रधान प्रबंधक	सदस्य
(ग)	सहकारी संस्थाओं का उपरजिस्ट्रार, या सहायक रजिस्ट्रार	
(घ)	ग्रामोद्योग का प्रबन्धक	सदस्य
(ङ)	जिला निरीक्षक, जिसे बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया हो.	सदस्य सचिव

८. यदि बोर्ड द्वारा ऐसा निर्देशित किया गया तों सदस्य बोर्ड की सहायता से स्थापित किए गए ग्रामोद्योगों का निरीक्षण करेगा और अपनी रिपोर्ट बोर्ड के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा.

९. (१) प्रबन्ध संचालक बोर्ड की ओर से प्रत्येक ऐसी संविदा को, जिसका कि मूल्य दस हजार रुपये से अधिक न हो निष्पादित करेगा.

परन्तु कोई भी संविदा का मूल्य दस हजार रुपये से अधिक हो, प्रबन्ध संचालक द्वारा बोर्ड को मंजूरी से ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

(२) प्रबन्ध संचालक द्वारा हस्ताक्षरित प्रत्येक संविदा बोर्ड की सामान्य मुद्रा से मुद्रांकित की जाएगी.

(३) बोर्ड की सामान्य मुद्रा प्रबंध संचालक की अभिरक्षा में रहेगी.

१०. प्रबंध संचालक, अध्यक्ष की सहमति से बोर्ड के हित में जंगम तथा स्थावर सम्पत्ति को उपयुक्त निबंधनों पर अर्जित कर सकेगा, धारण कर सकेगा पट्टे पर दे सकेगा, विक्रय कर सकेगा, या अन्यथा अन्तरित कर सकेगा :

परन्तु ऐसी स्थावर सम्पत्ति के मामले जिसका कि मूल्य दस हजार रुपये से अधिक हो, अनुसमर्थन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे,

११. प्रबंध संचालक यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों से उपबंध सम्यक रूपेण कार्यान्वित किये जाते हैं और उस प्रयोजन के लिए उसे यह शक्ति होगी कि वह अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबन्धों से असंगत न होने वाले ऐसे आदेश, जैसे कि वह उचित समझे, जिनके कि अन्तर्गत कोई ऐसा आदेश भी आता है जो बोर्ड द्वारा किये गये विनिश्चियों को क्रियान्वित करने वाला हो, जारी करें.

१२. नियम ६ में अधिकथित किए गये अनुसार कार्यवाहियों के रजिस्टर के अतिरिक्त बोर्ड के सम्मिलन के समय रखा जाने वाला बोर्ड के सदस्यों का हाजिरी रजिस्टर तथा टिप्पणी की नस्तियां भी रखी जाएगी.

१३. (१) वित्तीय सलाहकार, उस तारीख से, जिसको कि अपना पद ग्रहण करता है, दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा.

(२) वित्तीय सलाहकर—

(एक) प्राप्तियों तथा व्ययों से संबंधित समस्त विभागों पर बोर्ड को सलाह देगा.

(दो) की बोर्ड के प्रत्येक सम्मिलन में हाजिर होने का और उसके विचार विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसमें मत देने का अधिकार नहीं होगा और उसे यह भी अधिकार होगा कि वित्तीय विषकाओं वाले किन्ही भी ऐसे मामलों को, जिनके कि बारे में उसकी यह राय हो कि वे बोर्ड के ध्यान में लाये जाने चाहिए, बोर्ड को निर्देशित करें.

(तीन) बोर्ड का बजट तैयार किये जाने का, बोर्ड के वार्षिक तथा अन्य वित्तीय विवरणों के संकलन का और उस रीति का, जिसमें कि बोर्ड के लेखाओं को बनाये रखा जाता है तथा सपंरीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जाता है संवीक्षण तथा पर्यवेक्षण करेगा.

(चार) को यह अधिकार होगा कि वह प्रत्येक ऐसे प्रस्ताव पर जिसमे बोर्ड की विधियों में से व्यय किया जाना अन्तविलप्त हो, अपनी राय बोर्ड द्वारा ऐसे प्रस्ताव पर विचार किये जाने तथा उसे अनुमोदित किये जाने के पूर्व अभिलिखित करें.

(पांच) को यह अधिकार होगा कि वह बोर्ड को यह सलाह दे कि कोई ऐसा विशिष्ट विनिश्चय, जिसका कि बोर्ड की साधारण वित्तीय नीति पर प्रभाव पढ़ता हो, राज्य सरकार को निर्देशित किया जाय.

१४. अध्यक्ष ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि राज्य सरकार खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा दी गई मंजूरी में अधिरोपित की गई हो, एक ग्रामोद्योग से दुसरे ग्रामोद्योग में पुनर्विनियोग कर सकेगा, ऐसे पुनर्विनियोग बोर्ड के आगामी सम्मिलन में अनुसमर्थन के लिए रखे जाएंगे.

१५. बोर्ड, यदि आवश्यक हो तो अनुपूरक बजट प्रारूप एक में तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार की मंजूरी के लिए 15 दिसम्बर तक न कि उसके पश्चात् प्रस्तुत करेगा.

१६ बोर्ड अपनी स्वयं की निधियों तथा संसाधनों से ग्रामोद्योग प्रोग्राम हाथ में लेने का विनिश्चिय कर सकेगा यह अपने द्वारा अनुमोदित स्कीमों के संबंध में बैंकों के मार्फत उपलब्ध वित्तीय साधनों को काम में लाएगा और ऐसे मामलों में मंजूरियों का निष्पादन प्रन्बध संचालक द्वारा किया जाए.

१७. धारा १८ की उपधारा (१) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट जिसमें प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने तथा सुधारने हेतु किए गए उपायों को, राज्य सरकार, वित्तदायी बैंको तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा दी गई मंजूरियों को और वास्तविक तथा वित्तीय आंकड़ों का वर्णन करते हुए उनके निष्पादन में हुई प्रगति को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, प्रबन्ध संचालक द्वारा तैयार की जाएगी तथा बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी. उसके अनुमोदित हो जाने के पश्चात् रिपोर्ट तथा विवरणी की प्रतियां, उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि का अवसान होने के पूर्व, राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी.

१८. कलेक्टर को धारा २४ के अधीन किया जाने वाला प्रत्येक आवेदन प्रारूप दो में किया जाएगा तथा उसे प्रबन्ध संचालक द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा.

१९. मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग नियम १९६० एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरस्त हुए नियमों के अधीन की गई किसी बात या कार्यवाही के संबंध में, जब तक कि ऐसी बात या कार्यवाही इन नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई है.

प्ररूप एक

(देखिये नियम 15)

स्थापना के व्यय का विवरण

अनुक्रमांक	कर्मचारी का नाम व पद	पद का स्वीकृत वेतनमान निम्नतम	अधिकतम	अगले वर्ष में एक अप्रैल को पद का वास्तविक वेतन	कालम ३ (ग) में के दर के अनुसार वर्ष के लिये वास्तविक वेतन
(१)	(२)		(३)		(४)
		(क) रुपये	(ख) रुपये	(ग) रुपये	

वर्ष की अवधि में देय वेतन वृद्धि: वेतन वृद्धि की तारीख	वेतन वृद्धि की दर	वर्ष में वेतन रुपये वृद्धि की रकम	विशेष वेतन या अन्य भत्ते जिनकी गणना वेतन में होती है	वर्ष के लिए प्रावधान यान कालम (४) (५-ग) एवं (६) का योग	टिप्पणियां यदि कोई हों
	(५)		(६)	(७)	(८)
(क)	(ख)	(ग)			
योग . .					

प्ररूप दो

(देखिये नियम १८)

बकाया वसूली हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

जिलाधीश,

जिले का नाम ....

व्यक्ति या संस्था का नाम जिन पर रकम शोध्य है	व्यक्तिक्रमी का पता	बोर्ड को शोध्य वह रकम जिसके लिये यह आवेदन पत्र दिया गया है.	शोध्य राशि का प्रकार जिसके लिए यह आवेदन पत्र दिया गया है
१	२	३	४

आपसे निवेदन है कि आप कृपया उपरोक्त रुपये ....की राशि वसूल करें. जिसके बारे में जांच के उपरांत मुझे यह सन्तोष हो चुका है कि वह राशि उक्त व्यतिक्रमी .... के बारे में शोध्य है.

आज तारीख ....सन् १९ को मेरे द्वारा सत्यापित किया गया.

....

प्रबन्ध संचालक,

मध्यप्रदेश राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवचरण सिंह, उप सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मई 1980

क्र. १ (ए)-१-८० ग्यारह-अ-भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसार में इस विभाग को अधिसूचना क्र. १ (ए) १-८० ग्यारह-अ, दिनांक १३ मई १९८० का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवचरण सिंह, उप सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई १९८०

क्र. १ (ए) ७-८०-अ ग्यारह, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, म. प्र. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, राज्य सरकार के अनुमोदन से एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

विनियम

1. ये विनियम मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग विनियम, 1980 कहलायेंगे.

2. इन विनियमों में, अब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग अधियिम, 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978),

(ख) "बोर्ड" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,

(ग) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है बोर्ड का अध्यक्ष,

(घ) "जिला समिति" से अभिप्रेत हैं धारा 12-क की उपधारा (1) के अधीन गठित की गई जिला समिति,

(ङ) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा,

(च) "सदस्य" से अभिप्रेत है बोर्ड का सदस्य.

3. अध्यक्ष बोर्ड का कार्य करने हेतु उसके द्वारा की गई यात्रा के लिए मध्यप्रदेश सरकार के "क" श्रेणी के कर्मचारी को अनुज्ञेय दरों पर यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा.

(2) बोर्ड या किसी समिति के सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए बोर्ड के सदस्य ऐसी दरों पर दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे जो कि मध्यप्रदेश विधान सभा के किसी सदस्य को मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन अनुज्ञेय है और वे बोर्ड या समिति के किसी सम्मेलन में उपस्थित होने के लिये या बोर्ड का कोई अन्य कार्य करने हेतु की गई यात्रा के लिए मध्यप्रदेश सरकार के "क" श्रेणी कर्मचारी को अनुज्ञेय दरों पर यात्रा भत्ता पाने के भी हकदार होंगे.

4. निम्नलिखित नियम बोर्ड के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे राज्य सरकार की सेवा में तत्समान श्रेणी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को लागू होते हैं, अर्थात् :—

(1) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1977

(2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965,

(3) मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस मेडिकल (मेडिकल अटेण्डेन्ट्स) रूल्स, 1958,

(4) यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता मंजूर करने संबंधी नियम.

(5) मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (जनरल कण्डीशन्स आफ सर्विस) रूल्स, 1961 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 बोर्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नीचे विनिर्दिष्ट किए गए उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे, अर्थात् :—

क. मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (जनरल कण्डीशन्स आफ सर्विस) रूल्स 1961 में,

(एक) नियम 2 में —

(खण्ड) (क) में —"नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग बोर्ड सेवा भर्ती नियम 1978 के नियम 2 के खण्ड (क) के अर्थ के अन्तर्गत नियुक्ति प्राधिकारी.

(दो) खण्ड (ग) में "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड.

(तीन) खण्ड (ङ) में "पद" से अभिप्रेत है बोर्ड के अधीन पूर्णकालिक नियोजन किन्तु उसमें ऐसा नियोजन सम्मिलित नहीं है जहां कर्मचारी को आकस्मिकता निधि से भुगतान किया जाता हो.

ख. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में —

(एक) नियम 2 में —

खण्ड (क) में—नियुक्ति प्राधिकारी से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग बोर्ड सेवा भर्ती नियम, 1978 के नियम 2 के खण्ड (क) के अर्थ अन्तर्गत नियुक्ति प्राधिकारी,

(दो) खण्ड (घ) में —"अनुशासनिक प्राधिकारी" से अभिप्रेत है वह प्राधिकारी जो बोर्ड के किसी कर्मचारी पर नियम 10 में विहित की गई शास्तियों में से कोई भी शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम हो.

(तीन) खण्ड (ङ) में—"सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

(चार) खंड (च) में—"सरकारी सेवक" से अभिप्रेत है बोर्ड का कर्मचारी,

(पांच) खंड (छ) में—"विभागाध्यक्ष" से अभिप्रेत हैं प्रबंध संचालक.

6. मध्यप्रदेश फायनेंशियल कोड तथा मध्यप्रदेश ट्रेजरी कोड के उपबंध अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) में यथा उपबंधित लेखा पुस्तकों तथा अन्य पुस्तकों को बनाये रखने के प्रयोजनों के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.

7. (1) बोर्ड के ऐसे अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए, जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से भिन्न हो, अधिवार्षिकी आयु 58 वर्ष की होगी. चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष की होगी.

(2) खंड (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां बोर्ड अपने हित में ऐसा करना आवश्यक समझे वहां वह बोर्ड के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को, कर्तव्यों निर्वहन के लिए उसकी शारीरिक योग्यता तथा उपयुक्तता के अध्यधीन रहते हुए, 58 वर्ष की आयु के पश्चात् सेवा में वृद्धि कर सकेगा.

8. बोर्ड के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने छः मास की सेवा पूर्ण कर ली हो और जो 18 तथा 58 वर्ष के बीच की आयु के हो सिवाय उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जिनकी अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष की है, उस समूह बीमा योजना (ग्रुप इन्शोरेंस स्कीम) के अधीन आएंगे जो मृत्यु प्रसुविधा के रूप में प्रति कर्मचारी 10,000 रुपये का उपबंध करती है तथा यह राशि ऐसे प्रत्येक कर्मचारी के नाम निर्देशित या उसके विधिक वारिसों को उस समय देय होगी जबकि ऐसे कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाय. चतुर्थ श्रेणी के प्रत्येक कर्मचारी का मासिक प्रीमियम 5 रुपये होगा तथा अन्य कर्मचारियों के लिए वह 10 रुपए प्रतिमास होगा और यह रकम उनके वेतन से प्रत्येक मास काटी जाएगी, इस प्रकार काटी गई रकम में से चतुर्थ श्रेणी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए 0.445 रुपए तथा अन्य प्रत्येक कर्मचारी के लिए 1.7 रुपये या ऐसी रकम जो कि जीवन बीमा निगम के परामर्शों के बाद में अवधारित की जाय, मासिक प्रीमियम के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम, 19, महात्मा गांधी रोड, पोस्ट बाक्स नम्बर 130 इन्दौर-1, को भेजी जायेगी.

9. बोर्ड का प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी जबकि वह कार्यालय में हो, खादी से बनी वर्दी पहनेगा तथा ग्रामोद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का कार्यालय में यथासंभव उपयोग करेगा.

10. प्रत्येक जिला समिति निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी :—

(1) जिला समिति की बैठक दो मास में कम से कम एक बार होगी. अनुमोदित ग्रामीण उद्योगों की नई इकाइयों की स्थापना के लिए मामले विहित पद्धति के अनुसार जिला निरीक्षक द्वारा तैयार किए जायेंगे और सूक्ष्म जांच के लिए तथा बोर्ड द्वारा आवंटित निधियों में से मंजूरी के लिए समिति के समक्ष रखे जायेंगे मजूरी के पश्चात् बोर्ड द्वारा विहित की गई औपचारिकताओं को पूर्ण करने पर मंजूर किये गये अनुदान उधार कारीगर को प्रबंधक ग्रामोद्योग द्वारा सौंपा जायेगा.

(2) बोर्ड द्वारा आवंटित निधियां राष्ट्रीयकृत बैंक/सहकारी बैंक में रखी जायेंगे. कोई सवितरण उस समय तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह समिति द्वारा मंजूर न किया गया हो. जिला समिति द्वारा मंजूर किए जाने के पश्चात् रकम सौंपी जावेगी और जिला निरीक्षक तथा संबंधित व्यक्तिशः कारीगर के संयुक्त खाते में रखी जायेगी प्रथम किश्त जिला निरीक्षक द्वारा संबंधित कारीगर की उधार की रकम से उपकरण आदि क्रय करने के लिए सौंपी जाएगी और पश्चातवर्ती किश्तें उसका (जिला निरीक्षक का) यह समाधान होने के पश्चात कि प्रथम किश्त का उचित रूप से उपयोग किया गया है, सौंपी जायेंगी.

(3) जिला निरीक्षक एक रजिस्टर भी रखेगा जिसमें जिला समिति के सामने रखे गये मामलों के ब्यौरे तथा उनकी तारीखें और उन पर किए गए विनिश्चय और वह तारीख जिनको कि जिला निरीक्षक द्वारा बोर्ड को उपयोगीकरण प्रमाण-पत्र भेजा गया था दर्शाई जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवचरण सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 1980

क्र. 1 (ए)-7-80-ग्यारह-अ.—भारत के अनुच्छेद 359 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1 (ए) 7-80-ग्यारह-अ, दिनांक 4 जुलाई 1980 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवचरण सिंह, उपसचिव.

मध्यप्रदेश खादी ग्रामोद्योग पर्षद, उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 21 मई 1963

मध्यप्रदेश खादी ग्रामोद्योग विधान 1959 (क्रमांक 2, सन् 1960), की धारा 35 (2) (स) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग पर्षद ने राज्य शासन की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित भविष्य निधि विनियम बनाए हैं, जो उक्त धारा की उपधारा 1 आदेशों के अनुसरण में अधिसूचित किये जाते हैं कि विनियम ''मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होंगे.''

मध्यप्रदेश खादी ग्रामोद्योग पर्षद भविष्य निधि विनियम 1963

(1) ये विनियम मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग पर्षद भविष्य निधि विनियम, 1963 कहलायेंगे.

(2) पर्षद का प्रत्येक अधिकारी अथवा सेवक, जो इन विनियमों के प्रभावशील होने के दिन से पर्षद की सेवा में हो और जो इस प्रकार की निधि के लिए पहले से अर्थदान करता आ रहा हो, इन विनियमों के आधीन स्थापित भविष्य निधि के लाभों का स्वत्वाधिकारी होगा और ऐसे अधिकारी अथवा सेवक द्वारा जमा की गई धनराशि इस विनियम के अधीन स्थापित निधि में अंतरित की जाकर ऐसे अधिकारी अथवा सेवक में हिसाब में जमा कर दी जावेगी.

(3) इन विनियमों के लिए वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा.

(4) पर्षद के सेवकों के लाभ के लिए पर्षद में एक अंशदायी निधि स्थापित की जाएगी, जिसका नाम भविष्य निधि होगा.

(5) यह निधि पर्षद के इस प्रशासकीय अधिकारी या अन्य ऐसे अधिकारी के जिसके पर्षद, नियुक्त करे नियंत्रण में रहेगी और जिस मात्रा में निधि में इन नियमों के अन्तर्गत रकम एकत्रित होगी वह पर्षद की ओर से राज्य शासन की स्वीकृत के पश्चात् किसी शिड्यूल बैंक अथवा पोस्ट आफिस में ब्याज पर लगाई जावेगी.

(6) ये विनियम पर्षद के ऐसे समस्त अधिकारियों अथवा सेवकों को अनिवार्य रूप से लागू होंगे जो इन विनियमों के प्रभावशील होने के दिन पर्षद की सेवा में मासिक वेतन पर सेवक हो या उसके पश्चात् सेवा में आवे किन्तु प्रतिबन्ध यह हैं कि यह विनियम निम्नलिखित दशाओं में लागू नहीं होंगे :—

(अ) ऐसे कर्मचारियों के लिए जिनको दैनिक या साप्ताहिक पारिश्रमिक मिलता हो.

(ब) ऐसे कर्मचारियों के लिए जिन्हें केवल किसी विशेष कार्य या विशेष समय के लिए या विशेष पारिश्रमिक पर नियुक्त किया गया हो.

(स) ऐसे कर्मचारियों के लिए जिनकी सेवाये किसी शासकीय विभाग से नियोजन पर ली गई हो और जिनके संबंध में पेंशन कन्ट्रीब्यूशन दिया जाता हो.

(द) ऐसे कर्मचारियों के लिए जिनकी 6 मास की अवधि पर्षद की सेवा में नहीं हो गई हो.
किन्तु प्रतिबन्ध यह कि इन विनियमों के प्रभावशील होने के पूर्व 6 मास से कम अवधि के सेवकों के वेतन से यदि रकम काटी गई हो तो उनको विनियम लागू होंगे.

सदस्यता

(7) भविष्य निधि योजना में सम्मिलित होने की पात्रता वाले सेवक को योजना का अंशदाता बनाने के लिए प्रारूप (अ) में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

(8) प्रत्येक अंशदाता को आवश्यक होगा कि वह सदस्यता के पश्चात् तीन मास की अवधि में भविष्य निधि की रकम उसको देय नहीं होने या भुगतान नहीं की जाने के पूर्व उसकी मृत्यु की दशा में उसके खाते में जमा रकम को प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करते हुए नामांकन करें.

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अंशदाता पर्षद को उसके ऐसा की इच्छा को लिखित सूचना देने के बाद संशोधित या निरस्त कर सकेगा.

नोट.—भविष्य निधि विनियम क्रमांक 8 के अनुसार जो नामांकन प्राप्त होंगे पर्षद के प्रशासकीय अधिकारी द्वारा स्वीकार किये जावेंगे. (क्रमांक 6299/2181/11/अ, दिनांक 8-6-70).

(9) ऐसा नामांकन इसके पश्चात् की व्यवस्था के अतिरिक्त अंशदाता के परिवार के एक या अधिक सदस्य के हित में होगा और प्रारूप (अ) में दिया जावेगा. यदि अंशदाता एक से अधिक . . . . प्रतिनिधियों का नामांकन करें तो इस निधि से उसको प्राप्त रकम का अपने विवेक के अनुसार नामांकित सदस्यों में विभाजन कर सकेगा.

यदि नामांकन के समय अंशदाता का कोई परिवार नहीं हो तो वह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों का नामांकन कर सकेगा, किन्तु यदि अंशदाता बाद में परिवार का अर्जन करें तो ऐसा नामांकन तुरन्त निरस्त हो जावेगा और अंशदाता को अपने परिवार एक या एक से अधिक सदस्यों का नामांकन करना होगा.

स्पष्टीकरण-परिवार से तात्पर्य निम्नलिखित से है :—

(1) पुरुष अंशदाता के प्रकरण में पत्नी या पत्नीयां एवं अंशदाता के बच्चे और अंशदाता के मृत पुत्र की विधवा या विधवायें एवं बच्चे किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि कोई अंशदाता यह सिद्ध कर देवें कि उसकी पत्नी वैधानिक रूप से पृथक् होती हैं अथवा जाति में प्रचलित प्रथा के अनुसार पोषण हेतु कोई रकम प्राप्त करने की हकदार नही रही तब से वह अंशदाता के परिवार की सदस्या मानी जावेगी जब तक कि स्वयं अंशदाता लिखित रूप में प्रशासकीय अधिकारी को यह सूचना देवें कि उसे ऐसे परिवार का सदस्य माना जावे.

(2) महिला अंशदाता के प्रकरण में पति और अंशदाता के बच्चे तथा अंशदाता के मृत पुत्र को विधवा विधवायें एवं बच्चे.

किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि महिला अंशदाता प्रशासकीय अधिकारी को लिखित रूप में यह सूचित करें कि उसके पति को उसके परिवार का सदस्य नही माना जावे तो लिखित सूचना के पश्चात् अंशदाता के पति को अंशदाता के परिवार का सदस्य न माना जावेगा, जब तक पुनः अंशदाता द्वारा पूर्व में लिखित दी गई सूचना निरस्त न कर दी जावे.

(3) बच्चों का अर्थ समस्त वैधानिक बच्चों से है.

(4) दत्तक बच्चों को भी इन नियमों के अन्तर्गत प्रशासकीय अधिकारी द्वारा यह पुष्टि हो जाने पर कि अंशदाता के व्यक्तिगत, सामाजिक प्रथाओं के अन्तर्गत उक्त बच्चों की ओर से बच्चों को समस्त कानूनी अधिकार प्राप्त है, बच्चे माने जावेंगे.

(10) अंशदाता द्वारा किया गया प्रत्येक नामांकन और दी गई निरसन की प्रत्येक सूचना प्राप्ति के दिनांक से प्रभावशील होगी.

(11) प्रत्येक अंशदाता के वेतन तथा अवकाश वेतन 8 नये पैसे प्रति रुपया की दर से या पर्षद द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से प्रति मास रकम भविष्य निधि में जमा की जावेगी और पर्षद की ओर से उसी मात्रा में रकम प्रति मास अंशदान के रूप में इस रकम में सम्मिलित की जाकर इस निधि में जमा हुआ करेगी.

स्पष्टीकरण :—वेतन से अर्थ मूल वेतन एवं विशेष वेतन से होगा: अन्य किसी प्रकार का उप वेतन इसमें सम्मिलित नहीं माना जावेगा अवकाश के काल में पूर्व निश्चित अंश ही काटा जावेगा, किन्तु अवकाश पर जाने वाले कार्यकर्ता को यह विकल्प होगा कि वह अवकाश काल में अंशदान से.मुक्ति हेतु आवेदन करें. आवेदन स्वीकार होने पर अवकाश वेतन से अंशदान की रकम नहीं काटी जावेगी उस अवधि के लिए पर्षद द्वारा का अंशदान नहीं दिया जावेगा.

(11-ब) चाहे इन विनियमों में कुछ भी निहित क्यों न हो यदि पर्षद के समस्त कर्मचारी अपने महंगाई भत्ते, अंतरिम राहत या उसका भाग जितना पर्षद समय-समय पर निश्चित करें निधि में जमा करायेंगे इस पर पर्षद अंशदान देय नहीं होगा.

(क्रमांक 13860/8304/11/अ. दिनांक 21-11-1972)

(12) पर्षद के वार्षिक बजट में सेवकों के वेतन प्रावधान के अनुसार अंशदान की रकम की गणना करके बजट बनाया जावेगा और अंशदान की रकम भविष्य निधि में जमा होने पर खर्च में डाली जाया करेगी.

अंशदाता का खाता

(13) अ. प्रत्येक अंशदाता के नाम से एक खाता खोला जावेगा जिसमें (1) अंशदाता की रकम, (2) पर्षद द्वारा अंशदाता के खाते में किये गये अंशदान की रकम, (3) अंशदाता के खाते के कुल रकम पर अर्जित ब्याज की रकम जमा की जावेगी.

ब. प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रत्येक अंशदाता को निर्धारित प्रारूप में हिसाब का पत्रक दिया जावेगा जिसमें उप विनियम (अ) में वर्णित जमा रकमों तथा अंशदाता को दिए गए और वापस जमा किए गए अग्रिम, यदि कोई हो का इन्द्राज किया जावेगा.

(14) पर्षद भविष्य निधि की समस्त रकम को बैंक अथवा शासकीय सिक्यूरिटीज में ब्याज पर लगावेगी तथा सम्पूर्ण वर्ष में प्राप्त ब्याज की धनराशि प्रोरेटा बेसिस पर अंशदाताओं में विभाजित कर उनके खातों में जमा करेगी.

(15) भविष्य निधि की रकम ब्याज पर लगाने व ब्याज के विभाजन की व्यवस्था निम्न प्रकार रहेगी :—

(अ) प्रशासकीय अधिकारी के सयोजकत्व में एक समिति रहेगी, जिसमें लेखा अधिकारी व अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अंशदाताओं का एक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में रहेंगे. यह समिति प्रति तीन माह में भविष्य निधि की एकत्रित रकम को बैंक अथवा शासकीय सिक्युरिटीज, नेशनल सेविग्ज सर्टिफिकेट्स या अन्य सुरक्षित रूप में ब्याज पर लगाने का निश्चय करेगी तदनुसार रकम ब्याज पर लगायी जावेगी.

(ब) वर्ष भर में इस प्रकार रकम लगाने से जो वास्तविक ब्याज प्राप्त होगा वह दिनांक 31 मार्च को प्रत्येक अंशदाता के भविष्यनिधि खाते में जमा रकम के आधार पर प्रोरेटा बेसिस पर विभाजित करके प्रत्येक अंशदाता के खाते में जमा किया जावेगा.

भविष्य निधि से अग्रिम

(16) निधि में अंशदाता के खाते में जमा रकम से आगे के विनियमों के प्रतिबन्धों के पालन के साथ पर्षद द्वारा अंशदाता को अस्थायी अग्रिम दिया जा सकेगा.

(17) सक्षम अधिकारी को जब तक यह संतोष न हो जावें कि आवेदक की आर्थिक परिस्थिति अस्थायी अग्रिम धनराशि लेना उचित ठहरती हैं और उसका उपयोग निम्न आशय या आशाओं के लिए किया जावेगा. कोई अग्रिम धनराशि नहीं दी जावेगी :—

(अ) आवेदक की या उस पर निर्भर किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य या शिक्षा के कारण विदेश यात्रा के व्यय के लिए.

(ब) आवेदक की या उस पर निर्भर किसी सदस्य की लम्बी बीमारी के लिए व्यय की रकम का भुगतान करने के लिए.

(स) आवेदक की स्थिति के अनुसार विवाह, दाह संस्कार या अन्य संस्कार जो आवेदक के धर्म के अनुसार सम्पन्न कराना उसके लिए आवश्यक होने के लिए, आवश्यक व्यय के लिए.
किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इन कारणों के अतिरिक्त दुसरे आशयों के लिए आवेदक को पर्षद की स्वीकृति से अग्रिम दिया जा सकेगा.

18. अ. अग्रिम धनराशि की रकम आवेदन के पूर्व के मासिक वेतन के तीन गुने या अंशदाता के खाते में स्वयं के कुल अंशदान तथा उस पर ब्याज की कुल जमा रकम के आधे जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगा.

ब. अग्रिम दी गई रकम पर ब्याज विनियम क्रमांक 15 (अ) अन्तर्गत जमा भविष्य निधि पर दिये जाने वाले ब्याज की दर से लिया जावेगा.

स. साधारण परिस्थितियों को अग्रिम धनराशि 18 (अ) की सीमा से अधिक नही होगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में अग्रिम आवेदन की तिथि को आवेदक के खाते में जमा अंशदान एवं ब्याज की राशि की सीमा तक दिया जा सकेगा. (वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का पत्र क्रमांक 3551/अ दिनांक 27-6-73)

(19) विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त जिसका उल्लेख स्वीकृत कर्ता अधिकारी द्वारा अस्थाई अग्रिम स्वीकार करते समय स्वीकृति में किया जावेगा. दूसरी बार अग्रिम धनराशि तब तक नहीं दी जावेगी जब तक कि पूर्व में दी गई अग्रिम धनराशि तथा ब्याज का पूरा भुगतान किया जाने के बाद 3 माह का समय नहीं बीत गया हो.

(20) अग्रिम अंशदाता से स्वीकृति में निर्देशित मासिक अंशिकाओं में वेतन से काटकर वसूल किया जावेगा परन्तु ऐसी अंशिकाएं 24 तथा विशेष परिस्थितियों में 36 से अधिक नहीं होगा.

अंशदाता निर्दिष्ट अंशिकाओं से कम अंशिकाओं में अग्रिम धनराशि जमा करना चाहे तो ऐसा कर सकेगा.

(21) अग्रिम धनराशि की वसूली विनियम 11 में बताये गये अंशदान की वसूली के तरीके से ही की जावेगी और वह अग्रिम धनराशि लेने के आगे के मास से आरम्भ होगी.

(22) अग्रिम धनराशि की वसूली की रकम अंशदाता के भविष्य निधि खाते में जमा की जावेगी.

अ. ऐसा कर्मचारी जिसकी सेवा के 20 वर्ष पूर्ण हो चुके हों या जिसे पर्षद विनियम क्रमांक 44 के अन्तर्गत सेवा मुक्ति में पांच वर्ष से कम अवधि शेष हो, को स्वयं के आवास हेतु भूमि क्रय, मकान क्रय अथवा मकान निर्माण में लगने वाली राशि भविष्य निधि के आंशिक भुगतान के रूप में कर्मचारी के 24 माह के वेतन या उसके स्वयं के अंशदान और उस पर अर्जित व्यय अथवा 10 हजार रुपया इनमें से जो भी कम हो उस सीमा तक राशि का भुगतान किया जा सकेगा.

(23) यदि पर्षद को यह संतोष हो जाय कि भविष्य निधि से दी गई जिस आशय के लिए दी गई थी उससे भिन्न आशय के उपयोग में ली गई है तो ऐसी अनियमितता के लिए अंशदाता के विरूद्ध अनुशासन की कार्यवाही की जाने के अतिरिक्त पर्षद को यह अधिकार होगा कि अग्रिम धनराशि की शेष धनराशि ब्याज सहित ऐसे तरीके से जो पर्षद उचित समझे अंशदाता से वसूल करें.

(24) यदि अंशदाता सेवा से निवृत हो जाय या सेवा छोड़कर चला जाय या सेवा मुक्त कर दिया जावे या सेवा से पृथक कर दिया जावे तो वह अंशदाता नहीं रहेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह हैं कि निलम्बन की दशा में सब्सस्टेन्स अलाउन्स की रकम पर अंशदान की रकम जमा की जावेगी.

(25) यदि अंशदाता मर जाय या किसी अन्य कारणों से अंशदाता नही रहे तो भविष्य निधि में उसके नाम से जमा रकम ब्याज सहित तथा अंशदाता न रहने के दिनांक के पूर्व की अवधि के लिए पर्षद की अंशदान की रकम सहित इन विनियमों के अधीन अधिकृत कटौती के प्रतिबन्ध के सहित अंशदाता को या उसके प्रतिनिधि को देय होगी.

(26) निधि के सम्बन्ध में कोई मांग मान्य नहीं होगी, यदि भविष्य निधि की रकम देय होने के दिनांक से पश्चात् तीन वर्ष बीत गये हों. विशेष परिस्थितियों में पर्षद की स्वीकृति से तीन वर्ष पश्चात् प्रस्तुत मांग पर भी निधि का भुगतान देय होगा इस हेतु विनियम क्रमांक 35 के अन्तर्गत कल्याण निधि में जमा राशि निधि खाते को वापिस की जावेगी.

(27) निधि से देय रकम पर उसके देय होने के दिनांक से 6 माह पश्चात् कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा.

(28) विनियम क्रमांक 29 के प्रावधान के अतिरिक्त अंशदाता के खाते में जमा रकम से विनियम क्रमांक 25 के अधीन अंशदाता या उसके प्रतिनिधि को अन्तिम भुगतान किए जाने के पश्चात् की कटौती नहीं की जावेगी.

(29) यदि कोई अंशदाता उसकी नियुक्ति के दिनांक से 5 वर्ष के अन्दर स्वयं ही त्याग-पत्र देवें तो पर्षद की पूरी अंशदान की रकम या उस अंशदान की रकम पर अर्जित ब्याज सहित काट ली जावेगी.

(30) यदि कोई अंशदाता दुर्व्यवहार या किसी अन्य अनुचित कार्यवाही के कार्य पर्षद की सेवाओं से पृथक या पदच्युत कर दिया जावे तो उसको पर्षद के अंशदान की कोई रकम नहीं दी जावेगी.

(31) (अ) निधि में अंशदाता के खाते में जमा रकम पर अंशदाता को उसके सेवाकाल में कोई अधिकार न होगा और उसको यह भी अधिकार न होगा कि वह इस रकम या उसकी ब्याज की रकम पर किसी ऋण का भार डाले या रकम किसी दूसरे व्यक्ति के ऋण या ... में वसूली या जप्ती के योग्य नहीं होगा.

(ब) ऐसी भविष्य निधि जो इन विनियमों के अधीन दी जाती हो, किसी न्यायालय के आदेशानुसार भविष्य निधि पाने वाले व्यक्ति के किसी ऋणदाता की इच्छा या किसी न्यायालय की डिग्री में कुर्क जप्त नहीं होगी.

(स) परन्तु यदि पर्षद की कोई रकम किसी सेवक की ओर निकलती हो या किसी सेवक ने पर्षद की किसी रकम का दुरुपयोग किया हो तो इस निधि से वह रकम पर्षद द्वारा काटी जा सकेगी. इसी प्रकार असावधानी या किसी अन्य आक्षेप के कारण कोई रकम नुकसान, हर्जाने या जुर्माने के रूप में सेवक पर आरोपित की जावेगी तो वह भी इस रकम से वसूल की जा सकेगी.

किन्तु वसूली उस सीमा तक की जा सकेगी जिससे कार्यकर्ता के खाते में उस तिथि तक जमा पर्षद के अंशदान और उस पर अर्जित ब्याज की रकम से कम न हो.

निधि का प्रबंध

(32) भविष्य निधि का प्रबन्ध पर्षद द्वारा किया जावेगा और हिसाब पर्षद द्वारा नियुक्त आडिटर्स द्वारा किया जावेगा.

(33) इन विनियमों के अधीन या पर्षद के सक्षम अधिकारी का निर्णय अंशदाता पर बन्धनकारक होगा परन्तु इस निर्णय के विरुद्ध पर्षद के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकेगी. अपील प्रस्तुत होने पर पर्षद के एक निर्णयकर्ता को नियुक्त करेगा और ऐसे निर्णयकर्ता का निर्णय पर्षद तथा अंशदाता दोनों पर बन्धनकारक होगा.

(34) सेवा नियमों में परिवर्तन के कारण भविष्य निधि योजना की आवश्यकता नहीं रहने पर या अन्य कारणों से निधि को समाप्त करने की आवश्यकता की दशा में निधि की समस्त देनदारियां और दायित्वों को पूरा करने के लिए शासन एक या अधिक ट्रस्टी नियुक्त कर सकेगा और निधि की बाकी रकम पर्षद के माल में सम्मिलित की जावेगी.

(35) अंशदाता द्वारा या उसके उत्तराधिकारियों को देय रकम की यदि कोई मांग नहीं की जाय तो उसको तीन वर्ष की अवधि तक खाते में रखी जाय और उसके पश्चात् यदि पर्षद की रकम लेना शेष हो तो उसे काट कर शेष रकम पर्षद के कर्मचारियों के लाभार्थ कल्याण निधि में स्थानान्तरित की जावेगी. उसका निराकरण विनियम क्रमांक . . . . अनुसार किया जावेगा.

(36) नियम क्रमांक 29 के अनुसार काटी गई रकम पर्षद कर्मचारियों के लाभार्थ निर्मित कल्याण निधि में जमा की जावेगी.

(37) अ. कर्मचारी के खाते में जमा निधि पर विनियम क्रमांक 15 ब. के अनुसार ब्याज देने के पश्चात् ब्याज की अवशिष्ट रकम को कल्याण निधि में अन्तरिक किया जावेगा.

ब. इन नियमों के अधीन सदिच्छा से किये जाने वाले कार्य के लिए पर्षद के विरूद्ध या किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं की जावेगी.

प्ररूप (अ)

(देखिये विनियम 7)

मध्यप्रदेश खादी ग्रामोद्योग पर्षद की भविष्यनिधि योजना में प्रवेश के लिए

प्रार्थना-पत्र

(1) प्रार्थी का पूरा नाम ....

(2) प्रार्थी की जन्म तारीख ....

(3) पिता का पूरा नाम ....

(4) नौकरी में लागू होने की तारीख ....

(5) वह स्थायी है या अस्थायी ....

(6) भविष्य निधि का मासिक अंशदान ....

(7) विवरण ....

मैं यह घोषित करता हूं कि मैंने मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग पर्षद की भविष्य-निधि योजना के नियम पढ़े हैं. मैं इन नियमों का पालन करने को बाध्य हूं.

स्थान

प्रार्थी के हस्ताक्षर

तारीख

स्थान

समक्ष प्रशासकीय अधिकारी

तारीख

प्रार्थी के नाभ पर खाता नम्बर . . . . खोला गया है. यह खाता नम्बर . . . . के प्रार्थी के व्यवहार या कार्यवाही के वक्त लिखा जावें.

स्थान

अकाउन्ट्स आफिसर
मध्यप्रदेश खादी ग्रामोद्योग
उज्जैन

तारीख

नोट :—मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 की धारा उपधारा 2 (सी) के अन्तर्गत राज्य शासन ने भविष्य निधि नियम 1963 यथावत प्रभावशील रखा है.

प्रारूप (अ)

देखिये विनियम-पत्र 6

नामांकन प्रमाण-पत्र

मैं यह घोषित करता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग पर्षद की भविष्यनिधि में जो रकम मेरे नाम से जमा होगी वह लेने की पात्रता निम्नलिखित व्यक्ति को नीचे बताए मुजब होगी और उस बाबद में यह नामांकन करता हूं :—

पूरा नाम	अंश दाता से क्या सम्बन्ध	वर्तमान उम्र	धन्धा	पता	रकम किस हिस्से दी जावेगी	नामांकित व्यक्ति यदि आवश्यक हो हो तो नामांकित व्यक्ति की ओर से भुगतान लेने वाले व्यक्ति का नाम व पता	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

स्थान .... सही/- साक्षी/- अंशदाता के हस्ता./-

तारीख ....

प्रशासकीय अधिकारी,
म. प्र. खादी ग्रामोद्योग.

मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग मण्डल सेवा के लिये भरती नियम

मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, १९७८ (क्रमांक १६, सन् १९७८) की धारा ७ की उपधारा (३) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मण्डल म.प्र. ग्रामोद्योग मण्डल सेवा में भरती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :**

(1) ये नियम मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग मण्डल सेवा भरती नियम, १९७८ कहलायेंगे, ये नियम तत्काल लागू होंगे.

2. **परिभाषायें :**

इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) केवल उस सेवा को छोड़, जिसके सम्बन्ध में नियुक्ति शासन द्वारा की जाती है. सेवा के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से तात्पर्य मण्डल से है,

(ख) "समिति" से तात्पर्य विभागीय पदोन्नति समिति से है,

(ग) "परीक्षा" से तात्पर्य नियम ६ के अधीन सेवा भरती के लिये आयोजित लिखित या मौखिक परीक्षा से है,

(घ) "मण्डल" से तात्पर्य मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, १९७८ की धारा ५ के अधीन गठित मण्डल से है.

(ङ) "प्रबन्ध संचालक" से तात्पर्य मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, १९७८ की धारा ७ (१) के अधीन नियुक्त प्रबंध संचालक से है,

(च) "अनुसूची" से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न अनुसूचियों से है,

(छ) "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों" का वही अर्थ होगा जो उनके लिए संविधान के अनुच्छेद ३६६ के क्रमशः खण्ड (२४) तथा (२५) में उनके लिए दिया गया है, और जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस रूप में अधिसूचित किया जाय.

(ज) "सेवा" से तात्पर्य अनुसूची दो के खाना २ में दिए गए अनुसार मण्डल की सेवा से है,

३. **विस्तार तथा प्रयुक्ति :**

मध्यप्रदेश सिवील सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें, नियम १९६१ में दिये गये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

४. **सेवा का गठन :—**

सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति समाविष्ट होंगे, अर्थात् :—

(१) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय अनुसूचियों में उल्लिखित पद मूलतः धारण कर रहे हों
(२) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भरती किये गये हों, और
(३) वे व्यक्ति जो इन नियमों के उपलब्धकों अनुसार सेवा में भरती किये गये हों.

५. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि :**

सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान आदि तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या इससे संलग्न अनुसूची-एक में दिये गये उपबन्धों के अनुसार होगी. परन्तु मण्डल सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय-समय पर स्थायी या अस्थायी तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगा.

६. **भरती का तरीका :**

(१) इन नियमों के प्रारम्भ होने के बाद सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :—

(क) समिति द्वारा प्रतियोगी परीक्षा चयन करके सीधी भरती द्वारा,

(ख) सेवा के पद मूल रूप से धारण करने वाले सदस्यों (अनुसूची चार के खाना २ में दिए अनुसार) की पदोन्नति द्वारा,

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद, जो इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट किए जाएं, मूल हैसियत से धारण कर रहे हों.

(२) उपनियम (१) के खण्ड (ख) अथवा (ग) के अधीन भरती किए गए व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय (अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट) कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची दो में बताये गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

७. **सेवा में नियुक्ति :—**

पर्षद की बैठक क्र. १ दिनांक २१-४-८० के ठहराव क्रमांक ६ के अविकल प्रतिलिपि.

(६) म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम १९७८ की धारा २२ के अंतर्गत प्रबन्ध संचालक को अधिकारी देने के सम्बन्ध में.

संचालक मंडल ने पूर्ण विचारोपरान्त प्रबन्ध संचालक को द्वितीय एवं तृतीय तथा चतुर्थ के कर्मचारियों की नियुक्ति और दण्ड अधिरोपित करने के पूर्ण अधिकारी प्रत्यायोजित किये.

८. **सीधी भरती की, पात्रता की शर्तें :—**

परीक्षा में प्रतियोगी के रूप में चयन किये जाने के लिए पात्र होने की दृष्टि से उम्मीदवार को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए, अर्थात् :—

आयु (क) परीक्षा/चयन प्रारम्भ होने की तारीख के बाद आने वाली पहली जनवरी को उसकी आयु (अनुसूची ३ के खाने ३ में दर्शाये अनुसार) हो गई हो किन्तु (अनुसूची ३ के खाना ४ में दर्शाये अनुसार) से अधिक को न हो,

(ख) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिकतम आयु-सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकेगी.

९. **शैक्षणिक अर्हतायें :—**

उसके पास अनुसूची तीन में दर्शाये अनुसार सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताए होनी चाहिए.

१०. **उम्मीदवारों की पात्रता के सम्बन्ध में मण्डल का निर्णय अन्तिम होगा :—**

परीक्षा में बैठने देने के चयन के लिए किसी उम्मीदवार की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में मण्डल का निर्णय अंतिम होगा.

११. **अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण :—**

सीधी भरती के लिये उपबन्ध रिक्तियों के १५ प्रतिशत तथा १८ प्रतिशत स्थान उन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे; जो क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हों. उस स्थिति में जबकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार उपलब्ध न हों, उनसे सम्बन्धित रिक्तियां सामान्य उम्मीदवारों से भर जाएंगी.

१२. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :—**

(१) पात्र उम्मीदवारों की पदोन्नति हेतु प्रारम्भिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची चार में उल्लिखित चार में उल्लिखित सदस्य हों.

(२) समिति की बैठक ऐसी अन्तरावधियों मेंहोगी, जो साधारणत: एक वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(३) विभागीय पदोन्नति समिति को प्रस्तुत की जाने के लिए संवर्ग में सेवा के सभी सदस्यों की एक व्यापक वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी.

१३. **पदोन्नति के लिए पात्रता संबंधी शर्तें :**

(१) उपनियम (२) के उपबंधों के अध्यधीन, समिति उन सभी व्यक्तियों के मामले पर विचार करेगा, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को उस पद पर जिससे पदोन्नति की जानी हो तथा जो उपनियम (२) के उपबन्धों के अनुसार विचार किये जाने की परिधि में आते हों, अनुसूची चार के खाना (४) में विनिर्दिष्ट वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में हो अथवा मूल रूप में) पूरी कर ली हो.

(२) समिति पदोन्नति के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की सेवा या पद वरिष्ठता के क्रम में एक चयन सूची तैयार करेगी. चयन का मानदण्ड साधारणत: वरिष्ठता तथा योग्यता पर आधारित होगा जो समिति द्वारा पिछले पांच वर्षों की चरित्र पंजियों का अवलोकन कर निश्चित किया जाएगा.

१४. **चयन सूची :**

(क) मण्डल, समिति द्वारा तैयार की गई, सूची पर अंन्य सम्बद्ध दस्तावेज के साथ विचार करेगा, किए जाने वाले किन्हीं परिवर्तनों के साथ उसे अनुमोदित करेगा और वह तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण न किया जावे.

१५. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :**

सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग में आने वाले पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम से की जाएंगी जिस क्रम से ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में दिये गये हों. प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्तियां राज्य शासन के पूर्वानुमोदन से की जाएंगी :

परन्तु यदि प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण आवश्यक हो तो किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित न हो अथवा जिसका नाम चयन सूची में दिये गये क्रम में अगला न हो, सेवा में उसी स्थिति में नियुक्त किया जा सकेगा जबकि मण्डल का इस बात से समाधान हो जाये कि रिक्त पद के तीन माह से अधिक समय तक जारी रहने की संभावना नहीं है.

१६. **परिवीक्षा :**

सेवा में सीधे ही भरती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा.

१७. **निरसन और व्यावृति :**

इन नियमों के तत्स्थानी सभी नियम तथा उनके प्रारम्भ होने के ठीक पहले प्रवृत्त सभी नियम उसके द्वारा इन नियमों के अर्न्तत आने वाले विषयों के संबंध में निरसित किये जाते हैं.

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जाएगी.

नोट.—मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पत्र क्रमांक १३४५४/५१३२/११ अ दिनांक ३१-१२-८३ के अनुसार "राज्य शासन द्वारा म.प्र. के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सीधी भर्ती/पदोन्नीत के सम्बन्ध के आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं के जो भी आदेश जारी किये गये हैं या जारी किये जावेंगे, वह उसी रूप में पर्षद में भी लागू माने जाने है/माने जावेंगे." ये आदेश ३१-१२-८५ से प्रभावशील हैं.

अनुसूची १

(नियम ५ देखिए)

सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (१)	पदों की संख्या (२)	वर्गीकरण (३)	वेतनमान (४)
	प्रधान कार्यालय पद	सामान्य	
प्रबन्ध संचालक	१	प्रथम	–
प्रशासकीय अधिकारी	१	प्रथम	११००–१५००
सहायक प्रशासकीय अधिकारी	१	द्वितीय	४००–८00
उद्योग अधिकारी/विकास अधिकारी/तकनीकी अधिकारी	१२	द्वितीय	४००–८००
शीघ्र लेखक	३	तृतीय	२२०–३७५
पर्यवेक्षक	५	तृतीय	२२०–३७५
उच्च श्रेणी लिपिक			
भंडारी			
अभिलेखापाल	१०	तृतीय	१९५–३३०
निम्न श्रेणी लिपिक (मुद्रलेखक)	८	तृतीय	१६९–३००
चालक	३	चतुर्थ	१५५–२३०
दफ्तरी	१	चतुर्थ	१३१–१६४
चपरासी तथा चौकीदार	१०	चतुर्थ	१२५–१५०
प्रधान कार्यालय			
	पद	लेखा	
वित्तीय सलाहकार	१	प्रथम	–
लेखा अधिकारी	१	द्वितीय	४००–८००
सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	१	तृतीय	३३०–६००
लेखा निरीक्षक	८	तृतीय	२८०–४८०
पर्यवेक्षक/रोकड़िया/लेखापाल	५	तृतीय	२२०–३७५
लेखा परीक्षक रोकड़िया	१०	तृतीय	१९५–३३०
निम्न श्रेणी लिपिक	४	तृतीय	१६९–३००
क्षेत्र पद			
प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	४५	द्वितीय	४२५–९००
प्रबन्धक (प्रथम श्रेणी)	६	द्वितीय	२८०–४८०
प्रबन्धक (द्वितीय श्रेणी)	५	तृतीय	२८०–४८८
जिला निरीक्षक	४५	तृतीय	२८०–३७५
लेखापाल (११)	१६	तृतीय	१९५–३३०
सहायक (५)	१६	तृतीय	१६9–300
प्रबंधक (तृतीय श्रेणी)	२५	तृतीय	२२०–३७५

अनुसूची-दो

(नियम २ तथा ६ देखिये)

विभाग का नाम	सेवा में सम्मिलित	सेवा का नाम	सीधी भरती द्वारा	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत — सेवा में मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम 6 (ख) देखिये	अन्य सेवा से व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा नियम 6 (ग) देखिये
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
	मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग मण्डल			प्रधान कार्यालय पद-सामान्य	
	प्रबन्ध संचालक	१	–	–	१०० प्रतिशत
	प्रशासकीय अधिकारी	१	–	–	१०० प्रतिशत
	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	१			
	उद्योग अधिकारी		५%	५०%	–
	विकास अधिकारी				
	तकनीकी अधिकारी	१२			
	शीघ्र लेखक	३	१००%		–
	पर्यवेक्षक	५	–	१००%	–
	उच्च श्रेणी लिपिक				
	अभिलेखापाल	१०	–	१००%	–
	निम्न श्रेणी लिपिक				
	(मुद्रलेखक)	८	९०%	१०%	–
	चालक	३	१००%	–	–
	दफ्तरी	१	–	१००%	–
	चपरासी तथा चौकीदार	१०	१००%	–	–
	प्रधान कार्यालय पद-लेखा				
	वित्तीय सलाहकार	१	–	–	१००% *
	लेखा अधिकारी	१	–	–	१००% *
	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	१	–	१००%	–
	लेखा निरीक्षक	८	–	१००%	–
	पर्यवेक्षक रोकड़िया	५	–	१००%	–
	लेखापाल/लेखा पर्यवेक्षक	१०	–	१००%	–
	निम्न श्रेणी लिपिक	४	९०%	१०%	–
	क्षेत्र पद				
	प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	४५	५०%	५०%	–
	प्रबन्धक (प्रथम श्रेणी)	६	५०%	५०%	–
	प्रबन्धक (द्वितीय श्रेणी)	५	५०%	५०%	–
	प्रबन्धक (तृतीय श्रेणी)	२५	५०%	५०%	–
	जिला निरीक्षक	४५	५०%	५०%	–
	लेखापाल (११) सहायक (५)	१६	–	१००%	–
	निम्न श्रेणी लिपिक	१६	१००%	–	–

(*) उद्योग विभाग से या अन्य शासकीय विभागों से अर्थात् किसी बड़े शासकीय विभाग के संयुक्त संचालक/अपर संचालक के पद के किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा .

महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/संचालक, स्थानीय निधि लेखा / संचालक, कोषागार के कार्यालय से किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा.

टिप्पणी.—उपयुक्त व्यक्ति शासन या अशासकीय निगम या खादी आयोग से प्रतिनियुक्ति पर लिए जा सकते हैं म.प्र. शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ १/४/८५/११/अ दिनांक १५-१०-८५ द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में प्रशासकीय अधिकारी का पद समाप्त करते हुऐ औद्योगिक सलाहकार का पद निर्मित किया गया है. यह पद चौधरी वेतनमान में १८६०-६०-२१००-२४०० के वेतनमान का होगा.

अनुसूची–तीन

(नियम 8 देखिये)

विभाग का नाम (1)	सेवा का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	अधिकतम आयु सीमा (4)	विहित शैक्षणिक अर्हतायें (5)	अभ्युक्ति (6)
मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग मण्डल	(प्रधान कार्यालय के पद–सामान्य)				
	प्रबन्ध संचालक	–	–	–	शासन द्वारा नियुक्त किया जायेगा
	प्रशासकीय अधिकारी	–	–	–	प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जायेगा
	सहायक प्रशासकीय अधिकारी	18	30	कम से कम द्वितीय श्रेणी स्नातक उपाधि	–
	उद्योग अधिकारी विकास अधिकारी तकनीकी अधिकारी	18	30	—तदैव—	–
	शीघ्र लेखक	18	30	कम से कम उच्चतर माध्यमिक परीक्षा तथा उसके पास मध्यप्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्रलेखन मण्डल की शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण–पत्र होना चाहिये	–
	पर्यवेक्षक	18	30	कम से कम उच्चतर माध्यमिक परीक्षा	–
	उच्च श्रेणी लिपिक	–	–		–
	भण्डारी/अभिलेखपाल	18	30	—तदैव—	–
	निम्न श्रेणी लिपिक (मुद्रलेखक)	18	30	कम से कम उच्चतर माध्यमिक परीक्षा म. प्र. मुद्रलेखन तथा शीघ्र लेखन परीक्षा मण्डल से हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण–पत्र होना चाहिये	–
	चालक	18	30	उसे हिन्दी लिखना और पढ़ना आना चाहिए, और उसके पास सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त गाड़ी लाइसेन्स होना चाहिए.	–
	दफ्तरी	18	30	उसे हिन्दी पढ़ना और लिखना आना चाहिये और उसे फाईल बनाने, सिलाई करने और साईक्लोस्टाईल मशीन आदि पर कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.	
	चपरासी तथा चौकीदार	18	30	पूर्व माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण और साईकल चलाना आना चाहिए.	
	प्रधान कार्यालय के पद लेखा				
	वित्तीय सलाहकार	–	–	–	प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जायेगा.
	लेखा अधिकारी	–	–	–	—तदैव—
	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	18	30	लेखा प्रशिक्षित या लेखा कार्य का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव	
	लेखा निरीक्षक	18	30	—तदैव—	
	पर्यवेक्षक/रोकड़िया	18	30	—तदैव—	
	लेखापाल/लेखा परीक्षक, रोकड़िया	18	30	—तदैव—	

निम्न श्रेणी लिपिक (मुद्रलेखक)	18	30	कम से कम उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण और उसके पास म. प्र. शीघ्र लेखन तथा मुद्रलेखन मण्डल से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र होना चाहिए.
		क्षेत्र-पद	
प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	18	30	कम से कम द्वितीय श्रेणी की स्नातक उपाधि तथा ग्रामोद्योग का दो वर्ष का अनुभत्र होना चाहिए.
प्रबंन्धक (प्रथम श्रेणी)	18	30	—तदैव—
प्रबन्धक (द्वितीय श्रेणी)	18	30	कम से कम स्नातक उपाधि और ग्रामोद्योग
प्रबन्धक (तृतीय श्रेणी)	18	30	का दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए.
जिला निरीक्षक	18	30	—तदैव—
लेखापाल सहायक	18	30	लेखा प्रशिक्षित या लेखा कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव.
निम्न श्रेणी लिपिक	18	30	कम से कम उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण और उसके पास मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा मण्डल की हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने प्रमाण-पत्र होना चाहिए.

टिप्पणी :— सहायक प्रशासकीय अधिकारी की नियुक्ति समान वेतन वाले अधिकारियों में से उपयुक्तता के आधार पर की जाएगी.

2. प्रबन्धक (जिला उद्योग केन्द्र) तकनीकी अधिकारी, विकास अधिकारी, उद्योग अधिकारी प्रबन्धक प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी जिन्होंने उक्त व्यवसाय का निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त किया हो.

3. जिन व्यक्तियों को किसी उत्पादन केन्द्र के प्रबन्धक या सहायक प्रबन्धक के पद का 2 वर्ष या दो वर्ष से अधिक का अनुभव हो उन्हें उस उद्योग में प्रशिक्षित मान लिया जाएगा.

4. लेखा शाखा में पदोन्नति केवल ऐसे कर्मचारियों में से की जाएगी जिन्होंने विहित लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण की हो,

5. निम्न श्रेणी लिपिक या लेखापाल के रूप में कार्य कर रहे कर्मचारियों में से उपयुक्त उम्मीदवारों को, यदि अर्ह और लेखा प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध न हो, लेखा शाखा में अगले उच्चतर पद पर पदोन्नत किया जा सकेगा किंतु ऐसे व्यक्तियों को अगले दो वर्ष के भीतर लेखा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा अन्यथा उन्हें उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायगा.

6. अधिकतम आयु सीमा केवल सीधे भरती किए जाए उम्मीदवारों पर लागू होती है.

7. इन नियमों के प्रभावी होने के पश्चात् निम्न श्रेणी लिपिक से उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नति के मामलों को छोड़कर सभी पदोन्नतियों के लिए कोई भी कर्मचारी तब तक पात्र नही समझा जायगा जब तक कि उसने मण्डल की उच्चतर माध्यमिक परीक्षा, या उनके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो. उपयुक्त सारणी में उल्लेखित न्यूनतम अहर्ता केवल सीधें भरती किए गए उम्मीदवारों पर लागू होती है.

8. ऐसे व्यक्ति, जो पहले से ही शासकीय सेवा निगम/मण्डल की सेवा में हों की अधिकतम आयु सीमा मण्डल की सेवाओं में सीधी भरती के लिए शासकीय नियमों के अनुसार होंगी.

अनुसूची-चार

(देखिये नियम 12)

विभाग का नाम	उस सेवा या पद का जिससे पदोन्नति की जानी हो.	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी हो.	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग मण्डल	सहायक प्रशासकीय अधिकारी/ उद्योग अधिकारी/विकास अधिकारी/तकनीकी अधिकारी/ प्रबन्धक (प्रथम श्रेणी)	प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र	अध्यक्ष प्रबंध संचालक सदस्य प्रशासकीय अधिकारी सदस्य वित्तीय सलाहकार
	सहायक लेखा-परीक्षा अधिकारी/लेखा निरीक्षक प्रबन्धक(द्वितीय श्रेणी) उस उद्योग में प्रशिक्षित जिसके लिए पद भरा जाना प्रस्तावित हो	सहायक प्रशासकीय अधिकारी/ उद्योग अधिकारी/विकास अधिकारी/ तकनीकी अधिकारी/प्रबन्धक (प्रथम श्रेणी)	—तदैव—
	रोकड़िया/पर्यवेक्षक/जिला निरीक्षक/प्रबन्धक (तृतीय श्रेणी) (उस उद्योग में प्रशिक्षित जिसके लिए पद भरा जाना प्रस्तावित हो)	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/ लेखा निरीक्षक प्रबन्धक (द्वितीय श्रेणी)	—तदैव—
	उच्च श्रेणी लिपिक/ भण्डारी/अभिलेखपाल	रोकड़िया/पर्यवेक्षक जिला निरीक्षक	अध्यक्ष प्रशासकीय अधिकारी सदस्य वित्तीय सलाहकार
	लेखापाल, लेखा परीक्षक रोकड़िया/सहायक शीघ्र लेखक (उस उद्योग में प्रशिक्षित जिसके लिए पद भरा जाना प्रस्तावित हो)	प्रबंधक (तृतीय श्रेणी)	सदस्य प्रशासकीय अधिकारी
	निम्न श्रेणी लिपिक (मुद्रलेखक)	उच्च श्रेणी लिपिक भण्डारी/अभिलेखपाल लेखपाल लेखा परीक्षक रोकड़िया/सहायक	—तदैव—
	चपरासी तथा चौकीदार	दफ्तरी	—तदैव—

टिप्पणी :— नियम 13 के उप नियम (1) के प्रयोजनों के लिए, निम्न श्रेणी लिपिक (मुद्रलेखक) तथा चपरासी तथा चौकीदार के पदों पर पूर्ण की गई सेवा के वर्षों की संख्या तीन वर्ष और उपयुक्त खाना 2 में उल्लेखित अन्य पदों के लिए यह अवधि दो वर्ष की होनी चाहिए, तथापि विशेष उपस्थितियों में मण्डल इस शर्त में छूट दे सकेगा.

नोट :— इन नियमों को म. प्र. शासन वा. एवं उद्योग विभाग में उनके ज्ञापन क्रमांक एफ 1 (ए) / 9/78/अ/11/दि. 16-12-78 (द्वारा अनुमोदित किया है.)

ग्रामोद्योग विभाग

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 1995

क्र. एफ 6-2-बावन-95.—मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978) की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग मण्डल सेवा भर्ती नियम, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, :—

1. नियम 13 के उप नियम (1) में शब्द, अंक तथा कोष्ठक "के खाना (कालम) (2)" के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "के खाना (कालम) (4)" स्थापित किए जाए.

2. अनुसूची एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाये, अर्थात् :—

अनुसूची-1

(नियम 5 देखिये)

सेवा में सम्मिलित पदों नाम (1)	पदों की संख्या (2)	प्रवर्ग (3)	वेतनमान (4)
प्रधान कार्यालय-सामान्य			
1. प्रबंध संचालक	1	प्रथम-वर्ग	
2. उप संचालक	14	प्रथम-वर्ग	रु. 3000—4500
3. सहायक प्रशासकीय अधिकारी	1	द्वितीय-वर्ग	रु. 2200—4000
4. शीघ्रलेखक	3	तृतीय-वर्ग	रु. 1400—2340
5. पर्यवेक्षक	5	तृतीय-वर्ग	रु. 1200—2040
6. उच्च श्रेणी लिपिक	10	तृतीय-वर्ग	रु. 1150—1800
7. निम्न श्रेणी लिपिक	8	तृतीय-वर्ग	रु. 950—1530
8. चालक	3	तृतीय-वर्ग	रु. 950—1530
9. दफ्तरी	1	चतुर्थ-वर्ग	रु. 775—1036
10. भृत्य/चौकीदार	10	चतुर्थ-वर्ग	रु. 750—945
प्रधान कार्यालय लेखा पद			
1. वित्तीय सलाहकार	1	प्रथम-वर्ग	रु. 3000—4500
2. लेखाधिकारी	1	द्वितीय-वर्ग	रु. 2200—4000
3. सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	1	तृतीय-वर्ग	रु. 1600—2720
4. लेखा निरीक्षक	18	तृतीय-वर्ग	रु. 1400—2340
5. पर्यवेक्षक/रोकड़िया/लेखापाल/संपरीक्षक (आडिटर)	11	तृतीय-वर्ग	रु. 1200—2040

(1)	(2)	(3)	(4)
6. उच्च श्रेणी लिपिक सह-परीक्षक (आडिटर)	14	तृतीय-वर्ग	रु. 1150—1800
7. निम्न श्रेणी लिपिक	6	तृतीय-वर्ग	रु. 950—1530
	क्षेत्र पद		
1. उप संचालक	6	प्रथम-वर्ग	रु. 3000—4500
2. प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	45	द्वितीय-वर्ग	रु. 2200—4000
3. प्रबन्धक (प्रथम श्रेणी)	7	द्वितीय-श्रेणी	रु. 2200—4000
4. प्रबन्धक (द्वितीय श्रेणी)	22	तृतीय-श्रेणी	रु. 1400—2340
5. प्रबन्धक (तृतीय श्रेणी)	42	तृतीय-वर्ग	रु. 1200—2040
6. जिला निरीक्षक	45	तृतीय-वर्ग	रु. 1400—2340
7. उच्च श्रेणी लिपिक/मेकनिक	66	तृतीय-वर्ग	रु. 1150—1800
8. निम्न श्रेणी लिपिक	40	तृतीय-वर्ग	रु. 950—1530
9. भृत्य चौकीदार	42	चतुर्थ-वर्ग	रु. 750—945

3. अनुसूचित-दो के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाय, अर्थात् —

अनुसूची-दो

(नियम 2 एवं 6 देखिए)

विभाग का नाम एवं पदों के नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		
		सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (क) देखिये)	विभागीय पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (ख) देखिये)	प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम 6 (ग) देखिये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		प्रधान कार्यालय-सामान्य पद		
मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग मण्डल :				
1. प्रबन्ध संचालक	1	–	–	100 प्रतिशत
2. उप संचालक	14	–	100 प्रतिशत	–
3. सहायक प्रशासकीय अधिकारी	1	–	100 प्रतिशत	–
4. शीघ्रलेखक	3	100 प्रतिशत	–	–
5. पर्यवेक्षक	5	–	100 प्रतिशत	–
6. उच्च श्रेणी लिपिक/लेखापाल	10	–	100 प्रतिशत	–
7. निम्न श्रेणी लिपिक/टायपिस्ट	8	90 प्रतिशत	10 प्रतिशत	–
8. चालक (ड्रायवर)	3	100 प्रतिशत	–	–
9. दफ्तरी	1	–	100 प्रतिशत	–
10. भृत्य/चौकीदार	10	100 प्रतिशत	–	–

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
	प्रधान कार्यालय-लेखा पद				
1.	वित्तीय सलाहकार	1	-	-	100 प्रतिशत
2.	लेखाधिकारी	1	-	-	100 प्रतिशत
3	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	1	-	100 प्रतिशत	-
4.	लेखा निरीक्षक	18	-	100 प्रतिशत	-
5.	पर्यवेक्षक/रोकड़िया/लेखापाल संपरीक्षक (आडिटर)	11	-	100 प्रतिशत	-
6.	उच्च श्रेणी लिपिक/संपरीक्षक/रोकड़िया	14	-	100 प्रतिशत	-
7.	निम्न श्रेणी लिपिक	6	90 प्रतिशत	10 प्रतिशत	-
	क्षेत्र पद				
1.	उप संचालक	6	-	100 प्रतिशत	-
2.	प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र	45	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-
3.	प्रबन्धक प्रथम श्रेणी	7	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-
4.	प्रबन्धक द्वितीय श्रेणी	22	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-
5.	प्रबन्धक तृतीय श्रेणी	42	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-
6.	जिला निरीक्षक	45	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-
7.	उच्च श्रेणी लिपिक/मशीन मैन/सह मैकेनिक	66	-	100 प्रतिशत	-
8.	निम्न श्रेणी लिपिक	40	90 प्रतिशत	10 प्रतिशत	-
9.	भृत्य/चौकीदार	42	100 प्रतिशत	-	-

टीप :—महालेखाकार, मध्यप्रदेश, संचालक, स्थानीय निधि लेख/संचालक, कोषागार एवं लेखा से प्रतिनियुक्ति पर.

3. अनुसूची-चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाय अर्थात् :—

अनुसूची-चार

[नियम 12 एवं 13 (1) देखिये]

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग मण्डल	1. प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र प्रबन्धक प्रथम श्रेणी सहायक प्रशासकी अधिकारी, उद्योग अधिकारी, विकास अधिकारी, तकनीकी अधिकारी	उप संचालक	12 वर्ष	अध्यक्ष प्रबन्ध सचालक, सदस्य, अतिरिक्त सचिव उपसचिव, ग्रामोद्योग उपसचिव, समार्वजनिक उपक्रम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2. सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखानिरीक्षक/ जिला निरीक्षक/प्रबंधक द्वितीय श्रेणी (उस उद्योग के क्षेत्र में प्रशिक्षित जिसमें पदोन्नति होनी है)	प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/ प्रबंधक, प्रथम श्रेणी/सहायक प्रशासकीय अधिकारी/उद्योग अधिकारी/विकास अधिकारी/ तकनीकी/अधिकारी	2 वर्ष	अध्यक्ष, प्रबन्ध संचालक, सदस्य, वित्तीय सलाहकार, उप संचालक/ उद्योग अधिकारी, (स्थापना).
	3. रोकड़िया/पर्यवेक्षक/ प्रबंधक, तृतीय श्रेणी (उस उद्योग के क्षेत्र में प्रशिक्षित जिसमें पदोन्नति होनी है).	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/ लेखा निरीक्षक जिला निरीक्षक/ प्रबंधक, द्वितीय श्रेणी.	2 वर्ष	अध्यक्ष, प्रबन्ध संचालक, सदस्य, वित्तीय सलाहकार, उप संचालक/उद्योग अधिकारी (स्थापना).
	4. उच्च श्रेणी लिपिक/ भन्डारी/अभिलेखपाल/ लेखापाल/लेखा संपरिक्षक सह रोकड़िया/शीघ्रलेखक	पर्यवेक्षक रोकड़िया प्रबंधक, तृतीय श्रेणी	2 वर्ष	उपरोक्तानुसार
	5. निम्न श्रेणी लिपिक/ टायपिस्ट	उच्च श्रेणी लिपिक, भन्डारी (स्टोरकीपर) संपरीक्षक सह रोकड़िया, अभिलेखपाल सहायक.	3 वर्ष	उपरोक्तानुसार
	6. भृत्य/चौकीदार	दफ्तरी	3 वर्ष	उपरोक्तानुसार

No. F. 6-2-52-95.—In exercise of the power conferred by Section 28 read with sub-section (3) of Section 7 of the Madhya Pradesh Gramodhyog Adheniyam, 1978 (No. 16 of 1978), the State Government hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Gramodhyog Mandal Service Recruitment Rules, 1978, namely :—

AMENDMENT

In the said rules —

1. In sub-rule (1) of rule 13 for the words, figure and brackets "of column (2)" the words, figure and bracket "of column (4)" shall be substituted.

2. for schedule-1, the follwoing Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE - I

(See rule 5)

	Name of Posts included in the service (1)	Number of Posts (2)	Category (3)	Pay-Scale. (4)
	Head Office - Posts - General			
1.	Managing Director	1	Class-I	-
2.	Deputy Director	14	Class -I	Rs. 3000—4500
3.	Assistant Administrative Officer	1	Class -II	Rs. 2200—4000
4.	Stenographer	3	Class - III	Rs. 1400—2340
5.	Supervisor	5	Class - III	Rs. 1200—2040
6.	Upper Division Clerk	10	Class - III	Rs. 1150—1800
7.	Lower Division Clerk	8	Class - III	Rs. 950—1530
8.	Driver	3	Class - III	Rs. 950—1530
9.	Daftari	1	Class - IV	Rs. 775—1036
10.	Peon/Chowkidar	10	Class - IV	Rs. 750—945
	Head Office-Post-Accounts			
1.	Financial Advisor	1	Class - I	Rs. 3000—4500
2.	Accounts Officer	1	Class - II	Rs. 2200—4000
3.	Astt. Accounts Audit Officer	1	Class - III	Rs. 1600—2720
4.	Accounts Inspector	18	Class - III	Rs. 1400—2340
5.	Supervisor/Cashier/Accountant/ Auditor	11	Class - III	Rs. 1200—2040
6.	Upper Division Clerk/ Auditor-cum-Cashier	14	Class - III	Rs. 1150—1800
7.	Lower Division Clerk	6	Class - III	Rs. 950—1530
	Field Posts			
1.	Deputy Director	6	Class - I	Rs. 3000—4500
2.	Menager, Districts Industries Centre	45	Class - II	Rs. 2200—4000
3.	Manager (Grade - I)	7	Class - II	Rs. 2200—4000
4.	Manager (Grade - II)	22	Class - III	Rs. 1400—2340
5.	Manager (Grade - III)	42	Class - III	Rs. 1200—2040
6.	District Inspector	45	Class - III	Rs. 1400—2340
7.	Upper Division Clerk Machanic	66	Class - III	Rs. 1150—1800
8.	Lower Division Clerk	40	Class - III	Rs. 950—1530
9.	Peon/Chokidar	42	Class - IV	Rs. 750—945

3. For Schedule 2, the following Schedule shall be substituted :—

SCHEDULE -2

(See rule 2 and 6)

Name of Department and name of posts	No. of post	percentage of Post to be filled		
		By direct Recruitment See rule 6 (a)	By Departmental promotion See rule 6 (d)	By Deputation See rule 6 (c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Head Office - Posts - General				
Madhya Pradesh Gramodhyog Mandal :				
1. Managing Director	1	-	-	100%
2. Deputy Director	14	-	100%	-
3. Assistant Administrative Officer	1	-	100%	-
4. Stenographer	3	100%	-	-
5. Supervisor	5	-	100%	-
6. UDC/Accountant	10	-	100%	-
7. LDC/Typist	8	90%	10%	-
8. Driver	3	100%	-	-
9. Daftari	1	-	100%	-
10. Peon/Chokidar	10	100%	-	-
Head Office-Post-Accounts				
1. Financial Advisor	1	-	-	100%
2. Accounts Officer	1	-	-	100%
3. Astt. Audit Officer	1	-	100%	-
4. Account Inspector	18	-	100%	-
5. Supervisor/Cashier/Accountant Auditor	11	-	100%	-
6. U. D. C./Auditor-Cum-Cashier	14	-	100%	-
7. L.D.C.	6	90%	10%	-
Field Officer				
1. Deputy Director	6	-	100%	-
2. Manager, Districts Industries Centre	45	50%	50%	-
3. Manager (Grade - I)	7	50%	50%	-
4. Manager (Grade - II)	22	50%	50%	-
5. Manager (Grade - III)	42	50%	50%	-
6. District Inspector	45	50%	50%	-
7. U. D. C./Machinemen-Cum-Machanic	66	-	100%	-
8. Lower Division Clerk	40	90%	10%	-
9. Peon/Chokidar	42	100%	-	-

Not.—On deputation from Accountant General, M.P./Director, Local Fund Accounts/Director, Treasury an Accounts.

4. For Schedule 3, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE -IV

[See rule 12 and 13 (1)]

Name of Department (1)	Name of service or posts to be promoted (2)	Name of service or posts on which promotion is to made (3)	Experience (4)	Name of Member departmental promotion committee (5)
Madhya Pradesh Gramodhyog Mandal	1. Manager, DIC/Manager Gr. I, Asstt. Admn. Officer Industries Officer, Development Officer, Technical Officer.	Deputy Director	12 Years	Chairman, Managing Director, Members— Addl. Secy./Dy. Secy. Gramodhyog, Deputy Secy. Public Enterpris
	2. Asstt. Audit Officer/ Accounts Inpsector/ District Inspector/ Manager, Grade-II (should be trained in the field of Industry in which to be promoted	Manager, DIC Manager Gr. 1, Asstt. Admn. Officer, Industry Officer, Development Officer, Technical Officer	2 years	Chairman— Managing Director Members— Financial Adviser, Dy. Director/ Industry Officer, (Estab.)
	3. Cashier/Supervisor/ Manager, Gr. III (should be trained in the field of Industry in which to be promoted)	Asstt. Audit Officer Account Inspector, District Inspector, Manager, Gr. II	2 years	As above
	4. UDC/Store Keeper/ Record keeper/Accountant/Auditor-cum-Cashier Stenographar	Superviso Cashier, Manager Gr. III	2 years	As above
	5. LDC/Typist	UDC/Store keeper Auditor-cum-Cashier Record keeper Assistant.	3 years	As above
	6. Peon-Chowkidar	Daftari	3 years	As above

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. डी. खत्री, अपर सचिव.

शाकेमुभो—2742—उसंखाबोभो—15-2-99—200.